**अध्याय : प्रथम**

## परिचयात्मक :

महापुरूषों का जीवन कभी समतल रास्ते की तरह सीधा नहीं रहा है। अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें महान संघर्ष करना पड़ा है संघर्ष की यातनाओं में उन्होंने ''स्व'' का सर्वनाश किया है और वे वृहत्तर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण की चेतना से भव्य और दिव्य बने हैं। जो अपनी निजी स्वार्थ को छोड़कर समाज ,देश तथा मानवता के कल्याण के लिए काम करता है, वही पूजा जाता है। ऐसे पुरुष पूजनीय होने के साथ–साथ जन–मानस में आराध्यनीय देवता बन जाते हैं, ऐसे महापुरुषों के सत्कर्म कभी मरते नहीं, उन्हें न कभी समय मिटा सकता है, न शस्त्र कभी काट सकते हैं और न अग्नि कभी उन्हें भस्म कर सकती है। विश्व के सारे विष आत्मसात करके, मानवता की नई पवित्रता पर ध्यान दिये जाते हैं तो ऐसे महापुरुषों में सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर अग्रणी पुरूष रहे हैं। [1]

स्वतंत्रोत्तर भारत में महात्मा गांधी के बाद की पीढ़ी, जिसने देश की स्वाधीनता के लिए काम किया और उसके बाद उसकी सुरक्षा तथा निर्माण के लिये भी अद्वितीय कार्य किया, इनमें सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं डा0 बी0आर0 अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय एवं अप्रतीम है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल देश भक्तों में एक अमूल्य रत्न थे। वे भारत के अदम्य शक्ति–स्तम्भ थे, आत्म–त्याग, अनवरत सेवा तथा दूसरों को दिव्य शक्ति की चेतना देने वाला उनका जीवन सदैव प्रकाश स्तम्भ की अमर ज्योति की भाँति है। उनका भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में विवादास्पद योगदान रहा है।[2] इन मितभाषी, अनुशासनप्रिय और कर्मठ व्यक्ति के कठोर

व्यक्तित्व में विसमार्क जैसी संगठित कुशलता, कौटिल्य की भाँति राजनैतिक सत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी।[2]

सरदार बल्लभ भाई पटेल मन, बचन और कर्म से एक सच्चे देश भक्त थे। वे वर्ण–भेद तथा वर्ग–भेद के कट्टर विरोधी थे। वे अन्तः करण से निर्भीक थे। अद्भुत अनुशासनप्रियता, अपूर्व संगठन शक्ति ,शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता उनके चरित्र के अनुकरणीय अलंकरण थे। कर्म उनके जीवन का साधन था। संघर्ष को वे जीवन की व्यस्तता मानते थे। गाँधी जी के कुशल नेतृत्व में सरदार बल्लभ भाई पटेल को स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण रहा है।

स्वतंत्रोतर भारतीय राजनीति इतिहास के लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की मान्यता थी कि ''राजनीति यथार्थ की कठोर भूमि है'' परिणामस्वरूप स्वतंत्रता संग्राम के संचालन से लेकर भारत के एकीकरण तक सरदार बल्लभ भाई पटेल अपनी अपूर्व इच्छा शक्ति और विशुद्ध विवेक के आधार पर कार्य करते रहे। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति एवं मानवीय समस्याओं के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन्होंने निर्भय होकर नवजात गणराज्य की प्रारम्भिक कठिनाइयों का समाधान अद्भुत सफलता से किया वह अनुकरणीय है। सरदार बल्लभ भाई पटेल की शक्ति स्वतंत्रता एवं उनके अदम्य साहस से देश के समस्त राज्य धीरे–धीरे भारतीय संघ के एक अंग बन गये। यदि पं0 नेहरू ने कश्मीर समस्या का हल करना सरदार बल्लभ भाई पटेल के हाथ में दे दिया होता तो हैदराबाद, जूनागढ़ संघर्ष के समान उसका भी अन्त हो गया होता और आज न तो कश्मीर का एक तिहाई भाग पाकिस्तान के पास होता और न ही शेष कश्मीर की समस्या होती।[3]

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ने जाति–पाति और ब्राह्मणवादी संस्कृति, शोषित और उत्पीड़ित जनता को स्वतंत्र सत्ता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय का परम पवित्र संदेश दिया। अविश्वासों और अन्धविश्वासों से घिरी हुई अबोध जनता में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की धारा बहायी, आत्म–चिन्तन ,आत्म–निर्णय की भावनाओं से परिभ्रमित जनता में आत्मचिन्तन और आत्म–निर्णय की पवित्र भावनाओं की गंगा, यमुना,सरस्वती के प्रवाह की भाँति प्रवाहित किया। दिन दहाड़े डाका डालकर राजनैतिक सत्ता से वंचित करने वालों के प्रति सावधान किया। राजनैतिक और धार्मिक शोषण की समाप्ति के लिए राजनैतिक और धार्मिक जागृति दी। सामाजिक न्याय और अनाचार के विरूद्ध विद्रोह करने के लिये क्रान्ति की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की ''इन्कलाब जिन्दाबाद'' का नारा केवल खोखला है, निरर्थक है। जब तक भारतीय समाज में सामाजिक समानता का बीज नहीं बोया जाता और इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक ये नारे केवल नारे ही रहेगें। 1918 में बम्बई में अम्बेडकर साहेब अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मैं अपने सम्मान पर आघात पहुँचाने की अपेक्षा देश में सहस्त्रतार भरना अधिक अच्छा समझता हूँ।

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ने गाँधी या कांग्रेस को अपना नेता नहीं माना। अपना पथ स्वयं प्रशस्त किया। वे अपने विरुद्ध हिन्दू धार्मिक हीन भावनापूर्ण प्रचार से कभी नहीं घबराये, बल्कि राजनैतिक, शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में आगे ही आगे बढ़ते रहे। उनकी संघर्षमयी गाथाओं व कार्यों से भारत का इतिहास गौरवान्वित हुआ है।[4]

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर स्वतंत्र चिन्तक व विचारक थे। वे अपने अध्ययनकाल के दौरान अनेक राजनीतिक विचारकों से प्रभावित हुए तथा उनके राजनैतिक विचारों को आत्मसात भी किया। उन विचारको में टाम्स

हाब्स, जान लाक, जीन, रूसो जैरमी बेन्थम तथा जे0एस0 मीन प्रमुख रहे हैं। डा0 अम्बेडकर ने सबसे अधिक प्रभावित नैरमी वेन्थम के राज्य सम्बन्धी विचार से थे। यदि अम्बेडकर को स्वतंत्रोत्तर भारत का सामाजिक जन्मदाता कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

डा0 अम्बेडकर लोकतंत्र के समर्थक थे। वे ब्लैकस्टोन द्वारा इंग्लैण्ड के संविधान तथा कानून की प्रशंसा करने के कारण ब्लैकस्टोन की बहुत आलोचना करते थे। इनका कहना था कि इंग्लैण्ड की राजनीतिक संस्थाएं भयंकर शोषण करने वाली हैं। ये दरिद्र तथा निर्बल पर अत्याचार करने के लिए उकसाती है।[3]

अम्बेडकर वयस्क मताधिकार के समर्थक थे, उनका विश्वास था कि व्यक्ति को लोकतांत्रिक सरकार ही अधिक सुख प्रदान कर सकती है। डा0 अम्बेडकर द्वारा जो सुधार योजनायें प्रस्तुत की, हम उन्हें व्यवहारिक दर्शन कह सकते हैं। वे स्पष्टवादी तथा उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने हर पहलू पर अपने विचार दिये। उनकी तुलना जे0 एस0 मीन तथा कार्ल मार्क्स से कर सकते हैं। बी0 आर0 अम्बेडकर का कहना था कि वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक की अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बहुमत में निर्वाचकों के अधिक प्रतिनिधि होगें परन्तु अल्पसंख्यकों के अल्प संख्या में प्रतिनिधित्व भी आवश्यक होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, उस समय तक समान सरकार न होने वाली एक असमान तथा विशेष अधिकारों वाली सरकार ही स्थापित होगी।

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर रस्किन तथा लियो टालस्य (बार एण्ड केश) से भी प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य राजनीतिक गुणों का सजीव मूर्ति है। वे राजनीति तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे।

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी पर पश्चिमी विद्वानों के 'व्यक्तिवाद' सिद्धान्त का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। वे कहते थे कि अच्छी सरकार वही है जो कम से कम शासन करती है। अर्थात व्यक्तियों के कार्यो में कम से कम हस्तक्षेप करती है। वे कहते थे कि स्वतंत्र आदर्श राज्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सके कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सके तथा शिक्षा द्वारा ऐसी समझ पैदा करे कि वह नैतिक आचरण बिना किसी बाध्यकारी शक्ति के करे। डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर भारतीयता में विश्वास रखते थे। वे सामाजिक बुराईयों के प्रबल विरोधी थे। अछूतोद्धार, अस्पृश्यता निवारण आदि के लिए जीवन भर कार्य किया तथा दलितों व निर्बल वर्ग के सच्चे साथी रहे। [4]

प्राचीन काल से ही भारत विचार और आचार की कुलीनता का अनुभवी रहा है और इसलिए उनके जन–जीवन में सदा ही कुलीनता का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति में आनुवंशिकता का सदा महत्व रहा है। इस देश की परम्पराओं में जो हमारी संस्कृति का प्रवाह बनकर हमारे राष्ट्रीय जीवन में समाई हुई है, इतिहास काल से ही ऐसे अगणित प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित कुल, वंश और परिवार हमारी उच्चता और पवित्रता के प्रमाण रहे हैं जिनसे न केवल उस काल में वरन् आज भी हमें प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रकाश मिलता है। भारत की कुलीनता व्यक्ति के वंश, जन्म, विचार और कार्यो में समान रूप से है और इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक शिक्षा और संस्कार में तथा विचार और आचार में कुलीनता का यह ताना–बाना भारतीय जीवन की एक पवित्रम् कसौटी बनकर यहॉ के जन–जीवन में समाहित हो गया है। हमारे अतीत की यही कुलीनता आज हमारे राष्ट्रीयता में परिवर्तित, प्रतिबिम्बत और प्रतिफलित हुई है। इन दोनों

में केवल इतना अन्तर है कि पहले व्यक्ति की कुलीनता का मापदण्ड उसका वंश बनता था और अब उसका राष्ट्र बन गया है।[5]

## 1– प्रारम्भिक जीवन का इतिहास :

जीवन का अर्थ है अविराम, निश्चित उद्देश्यपूर्ण गतिशीलता अर्थात् ऐसी गतिशीलता जो अवरोधों पर रुके नहीं। सरदार पटेल के जीवन की यही गतिशीलता उनका सच्चा परिचय है। बल्लभभाई का जन्म अपनी ननसाल नाडियाद में हुआ था। हाईस्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी जन्म तिथि 31 अक्टूबर 1875 है। बल्लभभाई के पिता झबेर भाई गुजरात प्रान्त में बोरसद ताल्लुक के करमसद ग्राम के एक साधारण कृषक थे। करमसद ग्राम के इर्द–गिर्द मुख्यतः दो उपजातियॉ ''लेवा'' और ''कहवा'' निवास करती हैं। इन दोनों उपजातियों की उत्पत्ति प्रसिद्ध क्षत्रिय जाति मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान रामचन्द्र के पुत्र लव के नाम पर लेवा और कुश के नाम पर कहवा से बताई जाती है। सरदार वल्लभभाई पटेल लेवा उपजाति से सम्बन्धित थे। वे पटेल जाति से कुर्मी क्षत्रीय थे इनका नाम वल्लभभाई रखा गया। इनके पिता झबेर भाई बड़े साहसी ,संयमी और वीर पुरूष थे ।

स्वतन्त्रता के प्रथम प्रयास सन् 1857 में उन्होंने अपनी युवावस्था को मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि घरवालों को बिना बताये वे तीन वर्ष तक लापता थे। उन्होंने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई तथा नाना साहब मोरो पन्त की सेनाओ में भाग लेकर अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किये और समस्त उत्तरी भारत का भ्रमण किया ।[6]

झबेरे भाई एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। गुजरात प्रदेश में सन् 1829 में स्वामी सहजानन्द द्वारा स्थापित स्वामी नारायण पंथ के वे परम

भक्त थे। पचपन वर्ष की अवस्था के उपरान्त उन्होंने अपना जीवन उसी में अर्पित कर दिया था। वल्लभभाई ने स्वयं कहा है मै तो साधारण कुटुम्ब का था। मेरे पिता मन्दिर में ही जिन्दगी बिताते थे और वही उन्होंने जिन्दगी पूरी की।[7]

वल्लभाई की माता लाड़बाई अपने पति के समान धर्मपरायण महिला थी। बल्लभभाई के पांच भाई व एक बहन थी। इसमें सबसे बड़े शोभा भाई थे, इनसे छोटे नरहरि भाई, विट्ठल भाई, भाई बल्लभ भाई और काशीभाई थे। बहन डाहीबा सबसे छोटी थी। इनमें विठ्ठनभाई और बल्लभ भाई ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेकर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। माता–पिता के गुण संयम, साहस, सहिष्णुता देश प्रेम का प्रभाव बल्लभ भाई के चरित्र पर स्पष्ट था। बल्लभ भाई का लालन पालन विशुद्ध ग्रामीण वातावरण में हुआ। यद्यपि उन्होने कृषि कार्य नहीं किया, परन्तु कृषि और पशुपालन उनके परिवार के आजीविका का प्रमुख साधन था। अनिश्चितता किसानों को परेशान करती थी। बल्लभ भाई पटेल ने किसानों और मजदूरों की कठिनाइयों पर अन्तर्वेदना प्रकट करते हुए कहा, कि ''दुनिया का आधार किसान और मजदूर पर है'' फिर भी सबसे ज्यादा जुल्म कोई सहता है तो यह दोनों ही सहते हैं। क्योंकि ये दोनों बेजुबान होकर अत्याचार सहते हैं। मै किसान हूँ। किसानों के दिल में घुस सकता हूँ। इसलिए उन्हें मै समझता हूँ कि उनके दुःख का कारण यही है कि वे हताश हो गये हैं और वे यह मानने लगे हैं कि इतनी बड़ी हुकूमत के विरुद्ध क्या हो सकता है? सरकार के नाम पर एक चपरासी आकर उन्हें धमका जाता है, गालियाँ दे जाता है और बेगार कर लेता है''[8] किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि ''किसान डर कर दुःख उठाये और जालिमों के लात–घूसे खाये। इससे मुझे शर्म आती है और मै सोचता हूँ कि किसानों को गरीब और कमजोर

न रहने देकर सीधे खड़े करूँ और ऊँचा सिर करके चलने वाला बना दूँ। इतना करके मरूँगा तो अपना जीवन सफल मानूँगा।[9]

प्रख्यात समाजशास्त्री ,अर्थशास्त्री, कानूनविद्, शिक्षाविद्, भारत रत्न बोधिसत्व डा0 अम्बेडकर का जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी राव अम्बेडकर और माता का नाम भीमा बाई था। सूवेदार रामजी राव एक परिश्रमी चुस्त और उदार हृदय व्यक्ति थे। वह बौद्धिक रूप से सशक्त और उद्यमी थे। रामजीव राव सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्नति करते हुए सुबेदार मेजर के पद पर पहुँचे। अतः लोग उन्हें सूबेदार रामजी राव के नाम से पुकारते थे। [10]

सूबेदार रामजी राव महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के अम्बावड़े नामक छोटे से गांव के मूल निवासी थे। सन् 1891 में सूबेदार रामजी राव मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले की सैनिक छावनी मिलिट्री हेडक्वार्टर आफ वार (MHOW) मेहू में तैनात थे। वही पर बालक भीम का जन्म माता भीमावाई की कोख से हुआ। पच्चीस वर्ष की सेवा के पश्चात 1894 में सूबेदार मेजर रामजी राव सेवा से रिटायर होकर परिवार सहित बम्बई में आकर रहने लगे। बालक भीम पांच वर्ष के थे तभी सख्त बीमारी के कारण माता भीमाबाई का देहान्त हो गया।[11] अल्पायु में ही बालक भीम को माता के दुलार स्नेह से वंचित होना पड़ा। बालक भीम अपनी माता की मृत्यु पर कई दिन शोकातुर रहे और जब भी माता की याद आती देर तक रोते रहते।

## 2- बाल्यावस्था एवं तेजस्वी विद्यार्थी –

बल्लभ भाई का बाल्यकाल अपने माता–पिता के साथ अपने गाँव करमसद में व्यतीत हुआ। पिता बालक बल्लभ भाई को नित्य प्रातःकाल अपने साथ खेत पर ले जाते और आते–जाते रास्ते में पहाड़ा याद कराते थे। यही उनकी प्रारम्भिक शिक्षा का प्रारम्भ था। इसके उपरान्त उन्होंने पटेल लाद की पाठशाला में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण की। माध्यमिक शिक्षा के लिए वे पहले नाडियाद फिर बड़ौदा तथा इसके बाद पुनः नाडियाद आये। जहाँ से सन 1897 में 22वर्ष की आयु में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की । बल्लभ भाई विद्यार्थी जीवन से ही अत्यन्त निर्भीक थे, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह उनके जीवन का विशिष्ठ गुण था, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी जीवन में उन्हे कई बार अध्यापकों का विरोध सहना पड़ा। नाडियाद में उनके विद्यालय के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे तथा छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदे। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया तथा छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिये प्रेरित किया। परिणामस्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। पाँच–छः दिन तक विद्यालय बन्द रहा। अन्त में अध्यापकों द्वारा पुस्तकों को बेचने की प्रथा बन्द हुई और उक्त शिक्षक महोदय को झुकना पड़ा। फलतः वल्लभ भाई ने भी अपना आन्दोलन वापस लें लिया। [12]

इसके बाद मैट्रिक के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जब बल्लभभाई बड़ौदा पहुँचे तो उन्हें गुजराती लिपि जिसे छोटे लाल नामक अध्यापक पढाते थे। वे उन छात्रों को पसन्द नहीं करते थे जो संस्कृत में अरुचि के कारण गुजराती विषय चुनते थे। अध्यापक ने कटाक्ष करते हुए बल्लभभाई से कहा कि संस्कृत छोड़कर गुजराती ले रहे हो। क्या तुम्हें

ज्ञात नहीं कि संस्कृत के बिना गुजराती शोभा ही नहीं देती। बल्लभभाई की स्पष्टवादिता से अध्यापक चिढ़ गये। उन्होंने न केवल बल्लभभाई को कक्षा की पिछले बेंच पर खड़े रहने की आज्ञा दी, बल्कि प्रतिदिन घर से पहाड़े लिखकर लाने को कहा। एक दिन उन्होंने उत्तर दिया, पाड़े भाग गये, पाड़े भैंस के बच्चे को भी कहते हैं। इस पर अध्यापक और क्रोधित हो गये। 1949 में शंकर व विकली के बच्चों के विशेषांक के एक संदेश में पटेल ने अपने बाल्यकाल के विषय में कहा, ''जहाँ तक मुझे ध्यान है शरारत में या छिपकर दूसरों को मूर्ख बनाने में पीछे नहीं रहता था। जहाँ तक मुझे स्मरण है''[13] मैं यह कार्य अच्छे उद्देश्य हेतु करता था। मै अध्ययन में उतना ही गम्भीर था जितना खेलों में प्रसन्नचित्त, मुझे लापरवाह अध्यापकों के प्रति कोई सहानुभूति न थी, उनको कोई छेड़ता भी न था। बच्चों के रूप में अध्यापकों को ठीक करने का हम सबका अपना ढंग था। उसके लिए हम सब उन उपायों का प्रयोग करते थे जो बच्चों को करना चाहिए । [14]

सन् 1897 में 22 वर्ष में बल्लभभाई ने नडियाद से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सेठ गोविन्द दास ने लिखा है ''इस प्रकार बल्लभभाई की स्पष्टवादिता, तेज मिजाजी एवं विचारों की निर्भिकता और जिसे ठीक समझना, उस पर साहस एवं दृढ़तापूर्वक डटे रहने की प्रवृत्ति का कुछ परिचय उक्त प्रसंगों से उनके विद्यार्थी जीवन में मिलने लगा था। किन्तु उस वक्त यह कौन कह सकता था कि यह भारत के बदलने वाले इतिहास का पूर्वाभ्यास है।[15]

मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात बल्लभभाई की इच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की थी। किन्तु परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति एक बहुत बड़ी बाधा थी। कुछ निकट सम्बन्धियों द्वारा नौकरी करने की सलाह को उन्होने अस्वीकार कर दिया। विदेशी शिक्षा एवं पद्धति से वे आकर्षित थे।

सन् 1921 में पटेल अपने बचपन की मानसिक स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय यह मेरा ख्याल था कि इस अभागे देश में विदेशियों की नकल करना ही उत्तम कार्य है। मुझे शिक्षा भी ऐसी ही दी गयी थी कि इस देश के आदमी नीच और नालायक हैं और हम पर राज्य करने वाले विदेशी लोग ही अच्छे और हमार उद्धार करने में समर्थ है। इस देश के लोग गुलामी ही करने लायक है। इस तरह का जहर हमारे देश के तमाम बच्चों को पिलाया जाता है। जो लोग सात हजार मील दूर देश से यहाँ शासन करने आते हैं उनका देश कैसा होगा। यह देखने और जानने के लिए मै बचपन से ही तड़प रहा था।[16] पटेल विलायत जाकर वकालत पढ़ना चाहते थे। परन्तु धन का अभाव था। उन्होंने कहा है ''मुझे मालुम हुआ कि दस पन्द्रह हजार रूपये मिलने से विलायत जाना हो सकता है। मुझे कोई इतने रूपये देने वाला नहीं था। अन्त में यह तय हुआ कि विलायत जाना हो तो रूपये कमा कर जाना''[17]

अगले तीन वर्षो तक घर पर रह कर बल्लभभाई ने डिस्ट्रिक्ट प्लीडर के परीक्षा की तैयारी की और सन् 1900 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। अध्ययन हेतु वे अपने मित्र से पुस्तकें मंगाकर पढ़ते थे। जब वकालत के पढाई के सिलसिले में बल्लभभाई अपने एक मित्र के साथ बांकरोल में रहते थे तो उनके एक आँख में फोड़ा निकल आया, गाँव में नस्तर लगाकर फोड़े को ठीक करने का एक मात्र उपचार था। नाई बुलाया गया वह भी साहस करके गरम सलाख से फोड़े से पीप निकालने में सफल न हो सका। बल्लभभाई ने नाई से सलाख लेकर स्वयं पीप निकालकर सबको आश्चर्य चकित कर दिया।[18]

बालक भीम पांच वर्ष के हुए तो पिता सूबेदार रामजी उन्हें एक ब्राहमण प्रिंसिपल के स्कूल में लेकर गये। प्रिंसिपल साहब हृस्ट–पुष्ट, गोल मटोल सुन्दर बालक को देखकर खुश हुए। उन्होंने प्रवेश पत्र भरना शुरू

किया, जाति के कालम पर लिखने को उन्होने सूबेदार रामजी से जाति पूछी, रामजी ने बड़े संकोच से कहा ''म...हा...र'' उस समय भारत वर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था। अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बन्द थे।

प्रिंसिपल ने गुस्से में प्रवेश पत्र को टुकड़े–टुकड़े कर दिया और धक्के देकर चपरासी को बुलाकर आदेश दिया कि इस नीच कमीने को धक्का देकर बाहर निकालो। विवश बालक भीम कभी अपने पिता की ओर भाग कर पिता को बचाने का प्रयास करता तो कभी स्कूल के दरवाजे की ओर भागता, इस बीच–बचाव में बालक भीम स्कूल की सीढियों पर मुंह के बल बाहर जा गिरा, जिससे उसका मुंह लहू–लुहान हो गया। इस निर्दयी घटना से भीमराव के माता–पिता बहुत दुःखी हुए, बालक भीम ने माता पिता से सवाल किया कि हमें स्कूल से धक्के देकर क्यों निकाला गया? क्या मै और बालकों जैसा नहीं था? आहत माता–पिता क्या जवाब देते। केवल दुःखी होकर मन मसोस कर रह गये। लेकिन रामजी राव बालक भीम को पढ़ाने के लिए दृढ–संकल्प किये हुए थे। वे बालक भीम को एक अंग्रेजी के स्कूल में दाखिल कराने के लिए गये। यहाँ उनको दाखिला तो मिला परन्तु उन पर पाँच शर्तें लगायी गयी[19]

1–बिछाने के लिए भीम अपने घर से टाट लायेगा जबकि बाकी बालकों को टाट स्कूल से मिलता था।

2–भीमराव दूसरे बालको से लगभग 10 फिट दूर बैठेगा।

3–ब्लैक बोर्ड (BLACK BOARD) के निकट नहीं जायेगा।

4–वह मटकों में से खुद अपने हाथ से पानी निकालकर नहीं पीयेगा। कोई सवर्ण बालक ही मटके से पानी निकाल कर भीम राव को पिलायेगा।

5–भीमराव बाकी बालकों के साथ खेलों में भाग नहीं लेगा। [20]

हाई स्कूल में भी भीमराव से दुर्व्यवहार किया गया। ऊँची जाति के विद्यार्थी अपने रोटियों वाले डिब्बे ब्लैक वोर्ड के पीछे रखकर करते थे। एक दिन अध्यापक ने भीम राव को वोर्ड पर बुलाया। भीमराव अभी बोर्ड की ओर चले ही थे कि विद्यार्थियों ने शोर मचा दिया'' ठहर जाओ! हमें रोटियों के डिब्बे उठा लेने दो'' जब तक विद्यार्थियों ने रोटियों के डिब्बे नहीं उठा लिए तब उन्हें बोर्ड तक नहीं जाने दिया गया। सभी कठिनाइयाँ झेलते हुए भीम राव खूब मन लगाकर पढ़ रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक ने भीम राव को हतोत्साहित करने के लिए चिढ़ कर कहा, ''अरे तू तो महार है, तू पढ़ कर क्या करेगा।'' भीमराव यह अपमान सहन न कर सके। वे बब्बर शेर की तरह अध्यापक पर गरज पड़े।'' पढ़–लिखकर मै क्या करूँगा यह पूछना आपका काम नहीं है। यदि पुनः मेरी जाति का उल्लेख करके मुझे चिढ़ाया तो मै कह देता हूं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा'' भीमराव बचपन से ही स्वाभिमानी व निर्भीक थे। [21]

भीम राव को हाईस्कूल में एक और चोट लगी जिसे वे सारे जीवन भर नहीं भुला सके। भीम राव संस्कृत पढ़ना चाहते थे परन्तु स्कूल के अध्यापकों ने उनकी जाति के कारण संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर भीमराव को फारसी पढ़नी पड़ी। बाद में बाबा साहव अम्वेडकर ने अपने प्रयत्न व परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी और वे संस्कृत के विद्वान बने।

बचपन में माता–पिता का लाड़–प्यार व स्नेह न मिलने के कारण बालक भीमराव जिद्दी स्वभाव के हो गये थे। वे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। परन्तु धीरे–धीरे उन्होने पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान व

समय लगाया जिससे उन्हें पढ़ाई अच्छी लगने लगी और बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे। [22]

स्कूल की पुस्तकों के अलावा भीमराव को दूसरी पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत चाव था, उनके इस चाहत ने ही उन्हें भावी जीवन में एक महान विद्वान बना दिया। सूबेदार रामजी को पेंशन के कुल पचास रूपये मिलते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। परन्तु फिर भी वह भीम राव को पुस्तकें खरीदकर देते थे और चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं लाते थे। ताकि भीमराव के कोमल मन पर पिता के परेशानियों का भार न पड़े। आर्थिक दुर्बलता के कारण वे कई बार अपने गहने बेचते, सामान गिरवी रखते और ब्याज पर भी रूपये उधार लेते परन्तु भीमराव को पुस्तकें तथा पढ़ाई का अन्य सामान अवश्य खरीद कर देते। कई बार सूवेदार रामजी को अपनी सुपुत्रियों से भी ऋण लेना पड़ा और उनके आभूषण तक भी बेचने पड़े। [23]

भीमराव की प्रारम्भिक शिक्षा अभाव व निर्धनता में हुई। सूबेदार परिवार सहित परेल (बम्बई की एक मजदूर बस्ती) की एक पुरानी चाल (कमरा नुमा घर) में रहते थे। उनके पास एक ही कमरा था। इसी कमरे में घर का सारा सामान कपड़े, बर्तन, राशन, ईधन आदि होता था। यही कमरा रसोई के रूप में प्रयुक्त किया जाता था और रसोई घर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। भीमराव इसी कमरे में सोते और पढ़ते थे। प्रायः इसी कमरे में सास घुटता रहता था। सूबेदार भीमराव के पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते थे। वास्तव में उन्होंने भीमराव को एक महान विद्वान बनाने का मिशन बना लिया था। इस मिशन की पूर्ति के लिए प्रत्येक विपत्ति सहन की और प्रत्येक त्याग किया। सूवेदार जी भीमराव को रात्रि में शीघ्र ही सुला देते थे। और स्वयं रात्रि के दो बजे तक जागते 2

बजे वे भीमराव को जगा देते और खुद सो जाते 2 बजे रात से दिन निकलने तक भीमराव पढ़ाई में मगन रहते। [24]

सन् 1907 में एक अछूत का मैट्रिक पास कर लेना एक साधारण बात नहीं थी। बम्बई के अछूतों ने भीमराव का साहस बढ़ाने के लिए और उन्हें बधाई देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में एक हाई स्कूल के अध्यापक मा0 कृष्ण जी अर्जुन केलस्कर भी शामिल हुए जो एक प्रसिद्ध सेवक भी थे। इस अवसर पर सूबेदार ने यह घोषणा की ''भले ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परन्तु फिर भी मै भीमराव को उच्च शिक्षा दिलवाने का दृढ़ निश्चय रखता हूँ। [25]

## C-3– एक सफल संगठन कर्ता–

**D-** सरदार पटेल द्वारा 04 जनवरी 1939 को भेजे गये सात नामों में से तीन नाम इस आधार पर अस्वीकार कर दिये गये, क्योंकि प्रथम, ठाकुर को मिलने के पूर्व सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गयी द्वितीय इसमें जागीरदारों मुसलमानों और दलित वर्ग की उपेक्षा की गई और तृतीय ढेबर के नाम पर विरोध हो सकता है।[26] सरदार ने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब समस्त प्रयास असफल हो गये तथा 21 जनवरी को एक वक्तव्य प्रकाशित कर पुनः लड़ाई प्रारम्भ करने की घोषणा की। सरदार ने कहा, राजकोट सत्याग्रह की लड़ाई की सुखद पूर्णाहुति हुई प्रतीत होती थी। परन्तु अत्यन्त खेदपूर्वक उसे फिर प्रारम्भ करने का आह्वान करने का अवसर आ गया है। इस बात का मुझे गहरा दुःख है। फिर भी राज्य की प्रतिष्ठा के खातिर और साथ ही राजकोट की प्रजा के स्वाभिमान की रक्षा के खातिर लड़ाई फिर शुरू करने का धर्म हो गया है। [27]

**E-** अपनी स्वयं की स्थिति स्पष्ट करते हुए सरदार ने कहा, अपने बारे में इतना की कहूँगा कि काठियाबाढ़ राजकीय परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ। इसलिए काठियावाड़ की प्रजा तथा राजा दोनों के प्रति परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मेरे कर्तव्य हैं....देशी राज्यों के सवाल का निपटारा कराने में राजकोट को अनायास निमित्त बनने का अवसर मिला है। यह राजकोट का अहोभाग्य है।[28] 26 जनवरी को ठाकुर साहब ने एक नादिरशाही अध्यादेश लागू कर दिया। नेताओं को सामूहिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। स्वयंसेवकों को जंगल में ले जाकर विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। कस्तूरबा गाँधीजी तथा मणिसेन पटेल भी आन्दोलन में कूद पड़ी तथा उन्हें 03 फरवरी को राजकोट में बन्दी बना लिया गया। ऐसी स्थिति में राजकोट के प्रश्न पर गॉधी जी ने हस्तक्षेप किया तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु 27 फरवरी को राजकोट पहुँच गये। ठाकुर साहब दिवान बीरवाला तथा रेजिडेण्ट गिल्शन से असफल वार्ता के पश्चात गॉधी जी ने दो मार्च को ठाकुर साहब को पत्र लिख कर स्पष्ट किया कि यदि आप मेरी इतनी प्रार्थना कल 12 बजे के दोपहर तक स्वीकार नहीं करेंगे तो उस समय से मेरा उपवास शुरू हो जायेगा और जब तक इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जारी रहेगा।[29]

**F-** ठाकुर साहब ने रियासत के प्रसाशन की समस्त जिम्मेदारी अपनी मानते हुए किसी दूसरे के  हस्तक्षेप पर असमर्थता प्रकट की गॉधी जी के आमरण अनशन से पूरे देश में एक तहलका सा मच गया। काग्रेस अध्यक्ष सुबाष चन्द्र बोस ने 5 मार्च को राजकोट दिवस मनाने के आदेश दिये। वायसराय ने लार्ड लिनलिथगो स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए अपना दौरा स्थगित करके 6 मार्च को दिल्ली पहुॅचे। विचार विनिमय के पश्चात 7 मार्च को वायसराय लार्ड गिब्सन द्वारा गांधीजी को सन्देश भेजा जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि ठाकुर साहब की 26 दिसम्बर की घोषणा तथा सरदार

पटेल को भेजे जाने वाले पत्र के शब्दों के अर्थ को लेकर विवाद को सुलझाने का सर्वोत्तम हल होगा कि भारत वर्ष के फेडरल कोर्ट के चीफजस्टिस के पास निर्णय हेतु यह मामला भेज दिया जाये। [30] अप्रैल को चीफ जस्टिस सर मारिसग्वायर ने अपना निर्णय दिया जो सरदार पटेल के पक्ष में था। निर्णय में कहा गया ''घोषणा पत्र मसौदे में जहाँ यह कहा गया है कि बल्लभभाई पटेल सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिस करेंगें वहाँ मेरी दृष्टि में तो उसका एक यही अर्थ हो सकता है कि बल्लभभाई पटेल जिन सदस्यों की सिफारिस करेगें उन्हें ठाकुर साहब नियुक्त करेगें।[31] परन्तु अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि मुसलमानों तथा जागीरदारों को प्रजा परिषद के विरूद्ध भड़का दिया गया कि समिति में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। 09 अप्रैल को जब गांधीजी व सरदार पटेल राजकोट पहुंचे तो गांधीजी को जागीरदारों तथा मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा राजकोट में साम्प्रदायिक दंगे हुए। विरोधियों ने सरदार पर हमला करने की योजना बनाई जो असफल हो गयी। 07 मई 1939 को गांधीजी ने एक लेख 'इकरार और पश्चाताप'में अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा'' राजकोट में भारत के प्रधान न्यायाधीश के हाथों प्राप्त हुए फैसले के लाभ मुझे छोड़ देने चाहिए [32] उनका अनशन अहिंसा का मार्ग न होकर हिंसा तथा दबाव का मार्ग था। नवम्बर 1939 में राजकोट में जो सुधार घोषित किये गये, वे असन्तोषजनक थे और गांधीजी ने प्रजा को सलाह दी कि वह राज्य सरकार को सहयोग न दें।

**G-** राजकोट घटना से सरदार पटेल गॉधी जी के अधिक निकट आ गये। मैसूर में सरदार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि वे राज्य अधिकारियों का सहयोग करें, परन्तु राजकोट में उन्होने ठाकुर साहब तथा उनके परामर्शदाताओं के विरूद्ध सदैव आन्दोलन करने का सन्देश दिया।

**H-** मार्च 1924 में अम्बेडकर ने प्रमुखतः समाज सुधार का कार्य शुरू किया, 20 जुलाई 1924 को उनके प्रयासों द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की गयी। डा0 अम्बेडकर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे, जिन्हें स्वयं संकेतों व मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उनकी आवाज में वेदना थी, एक कसक और तड़प थी। ''गुलामों को यह आभास करा दो कि वह गुलाम है फिर वह विद्रोह कर देगा'' यह नारा डा0 अम्बेडकर ने ही बुलन्द किया था। [33]

**I-** डा0 अम्बेडकर अहिंसा में विश्वास करते थे, परन्तु अहिंसा और दब्बूपन में फर्क करते थे। उन्होनें दलित वर्ग में चेतना व साहस पैदा करने के लिए सन् 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की।

**J-** स्वतंत्रता का रहस्य है साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल में जुड़ जाने से पैदा होता है। 1936 में बाबा साहब ने मुम्बई प्रदेश पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के तहत बाबा साहेब ने मुम्बई प्रदेश विधान सभा के चुनावों में 17 उम्मीदवार खड़ा किये जिसमें से 13 जीते। इस प्रकार उन्होनें कांग्रेस को करारा झटका दिया उन्होने इस पार्टी के तहत दलित वर्गो के साथ–साथ किसान व मजदूर वर्गो का भी पूरा–पूरा ख्याल रखा। बेगार व भूमि दासता पर बाबा साहब ने तीव्र हमले किये, किसानों की मांगें मनवायी व भूमि सुधार के लिए डा0 अम्बेडकर न जम कर संघर्ष किया। बाबा साहब ने बुम्बई विधान सभा में अपना विचार रखा कि मजदूरों को जिन जमीनों पर वे खेती करते हैं उनका मालिकाना अधिकार दिये जायें।[34]

### 4. परिवार का परित्याग :

वोरसद में तीन वर्ष वकालत करने के पश्चात बल्लभ भाई की इच्छा इंग्लैण्ड जाकर वैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने की थी। इसका प्रमुख

कारण था कि कभी–कभी उन्हें वैरिस्टर का सहायक बनकर काम करना पड़ता था। धनी व्यक्ति मुकदमों में अहमदाबाद से वैरिस्टर बुला लेतें थे तथा बल्लभ भाई को वकील के रूप में रख लेते थे। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद से आये वैरिस्टर अधिक मेहनताना लेते थे। सन 1905 में इसके लिए बल्लभ भाई ने आवश्यक पत्र व्यवहार टाइम कुक एण्ड सन्स कम्पनी के साथ किया।[35] चूकि दोनों भाई अंग्रेजी में वी0 जे0 पटेल ही लिखते थे। अतः अन्तिम पत्र संयोगवश विट्ठल भाई पटेल के हाथ में पड़,ा इस घटना का वर्णन करते हुए बल्लभ भाई ने कहा ''वकालत का पेशा करके खर्च के बराबर कमाकर विलायत जाने का इरादा किया। मगर मैने जिस कम्पनी के मार्फत विलायत जाने का प्रबन्ध करने के लिए पत्र व्यवहार किया था उसका आया हुआ जबाब मेरे भाई के हाथ में पड़ गया। इस पर उन्होनें मुझसे कहा, ''मै तुमसे बड़ा हूं इसलिए मुझे जाने दो, तुम्हें तो मेरे आने के बाद भी जाने का मौका मिल जायेगा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरा जाना नहीं होगा। इस पर मैने अपने भाई को 15 दिन का समय दिया और वे पन्द्रहवें दिन विलायत चले गये।'' [36]

विट्ठलभाई के इंग्लैण्ड प्रवास के दौरान उनके परिवार के देखभाल का दायित्व भी बल्लभ भाई पर आ पड़ा। विट्ठलभाई की पत्नी मन्नतें मानने लगी और ब्राहमण भोज, दान पुण्य आदि करने लगी जिससे घर में फिजूल खर्ची बढ गयी। देवरानी जेठानी के प्रतिदिन झगड़े से बल्लभ भाई की मानसिक शान्ति भंग होने लगी। गृह कलह को शान्त करने के लिए बाध्य होकर बल्लभ भाई अपनी पत्नी झेबरबा को पीहर भेज दिया और जब तक विट्ठल भाई विलायत से लौट नहीं आये, वे पीहर में ही रहीं। इस प्रकार बल्लभ भाई ने त्याग तथा स्वयं कष्ट उठाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। सन् 1893 में 18 वर्ष की आयु में बल्लभ भाई का विवाह झबेरबा से हुआ था। इनसे दो सन्तानें थी। पुत्री मजीबेन जिनका

जन्म अप्रैल 1903 मे हुआ था और जो जीवन भर अविवाहित रही एवं पिता की सेवा करती रही, पुत्र डाहाभाई जिनका जन्म 28 नवम्बर 1905 में हुआ था बाद में सांसद बने। दोनों ने अपनी ननसाल मे पैदा हुए थे।

झबेरबा के पेट में एक ग्रन्थि जिसका आपरेशन बम्बई के कामा अस्पताल में किया गया। जब झबेरबा को अस्पताल में भर्ती कराया गया अस्पताल के डाक्टर ने औषधोपचार के उपरान्त पन्द्रह दिन पश्चात आपरेशन की बात कही थी। अतः बल्लभ भाई बोरसद में कुछ आवश्यक मुकदमें के पैरवी हेतु चले आये। परन्तु एकाएक तबियत खराब होने के कारण डा0 ने झबेरबा का आपरेशन कर डाला। आपरेशन सफल हुआ तथा बल्लभ भाई को तार से सूचना मिल गयी और जब बल्लभ भाई एक अदालत में हत्या के मुकदमें के लिए यह अप्रत्याशित आघात था। परन्तु मुकदमें की पैरवी में जरा सी असावधानी से अभियुक्त को फांसी की सजा हो सकती थी। उस समय भी बल्लभ भाइ ने धैर्य तथा दृढ़ता का परिचय दिया। तार को मेज पर रखकर पुनः पूर्ववत् अपने काम में जुट गए पैरवी करने के पश्चात उन्होनें अपने मित्रों को तार की सूचना दी उन्होनें एक मित्र से कहा, ''तार पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए मै भी किंकतर्व्यविमूढ़ हो गया था। किन्तु मृत्यु के आघात से जीवन के कर्तव्य को कैसे छोड़ूँ? यदि आज दृढ़तापूर्वक जिरह नहीं करता तो अभियुक्त को फांसी की सजा भी हो सकती थी।[37] 11 जनवरी 1909 को जब पत्नी का दुःखद निधन हुआ, बल्लभ भाई की आयु 34 वर्ष की थी। दुबारा शादी करने के लिए अनेक मित्रों और सगे सम्बन्धियों ने जोर दिया, परन्तु पुनर्विवाह न करने पर बल्लभ भाई दृढ़ता से डटे रहे। यह संयोग की बात है बल्लभ भाई सहित पांचों भाइयों की पत्नियां उनके तीस चालीस वर्ष की आयु में मर गयीं परन्तु किसी भाई ने दूसरा विवाह नहीं किया। सबसे छोटे भाई काशी

भाई ने एक बार कहा था, ''हम लोग विधुर कुल के नाम से जाने जाते है।[38]

सूबेदार रामजीराव वृद्ध हो चुके थे और बीमार चल रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी पर सूबेदार रामजी राव भीमराव से अभी भी आगे पढ़ाई जारी रखने पर तुले हुए थे। वह भीमराव को पढाई के लिए किसी भी तरह धन जुटाने का दृढ निश्चय किये हुए थे। पर भीमराव अपने बूढ़े और बीमार पिता पर और आर्थिक भार नहीं डालना चाहते थे। 1913 भीमराव पिता की इच्छा के विरूद्ध बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टीनेन्ट में भरती हो गये।[39] अभी भीमराव अम्बेडकर को भरती हुए लगभग पन्द्रह दिन ही बीते थे कि उन्हें बम्बई से सूवेदार रामजीराव का अत्याधिक वीमार होने का तार आ पहुंचा।

अतः उन्हें नौकरी से त्याग पत्र देकर बड़ौदा से तुरन्त बम्बई आना पड़ा अम्बेडकर घर पहुचे तो सुबेदारजी की हालत बहुत चिन्ताजनक हो चुकी थी, बीमारी नियन्त्रण से बाहर  हो चुकी थी। अम्बेडकर भरे दिल से अपने पिता की ओर देखते रहे जिसने उन्हे पढ़ाने के लिये सारा जीवन कर्ज लेकर और न जाने क्या–क्या दुःख सहन किये थे। दो फरवरी 1913 को दृढता और बहादुरी की प्रतिभा सुबेदार रामजी राव अपने विशेष प्रयत्नो द्वारा भीम राव अम्बेडकर नामक उदीयमान सूरज भारत वर्ष को सौंप कर सदा के लिये सो गये, जो आगे चलकर लताड़े हुए व बेसहारा लोगो का सहारा, करोड़ों गुलामो का मसीहा और मुक्ति दाता बने।[40]

## 5. समाज के साथ दृढता का परिचय–

पटेल जी सामाजिक सुधारों में आमूलचूल और क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के बजाय उनके धीरे–धीरे विकास के समर्थक थे। उनका मानना था

कि शिक्षा और ज्ञान वृद्धि के साथ–साथ सुधार कार्य स्वाभाविक ढंग से विकसित होते रहे, यही देश के हित में है। यदि समाज सुधार का कार्य स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़े तो सुधार के नाम पर समाज विभिन्न पंथो सम्प्रदायों, गुटों आदि में विभक्त होने से बच जायेगा। पटेल का विचार था कि समाज सुधार में त्वरित और क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति से पटेल संस्कृति से परम्परागत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यो को ठेस पहुचा सकती है। [41]

पटेल का जाति–पात अस्पृश्यता, बाल–विवाह, मद्यपान जैसी बुराईयो में विश्वास न था वे सामूहिक उत्सवों में अछूतो को सवर्ण हिन्दुओं के साथ समान स्थान देते थे। अन्य जातियो के साथ भोजन आदि करने में उन्हे कोई हिचक नही थी। पटेल ने समाजवादी चिन्तन में आर्थिक–सामाजिक न्याय के साथ विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया। पटेल ने सदैव जातिवाद को समाप्त करने के प्रयत्न किये। सामाजिक जीवन में स्त्रियों के लिये समान अधिकार पर विशेष बल दिया। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सतत संघर्ष, विदेशी शास्त्र का विरोध एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पूँजीगत विषमताओं तथा आर्थिक समानता के लिए संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना तथा अस्त्र–शस्त्र के स्थान पर सत्याग्रह को वे अपने क्रान्ति का आधार मानते थे।[42]

डा0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन भर के संघर्ष का ही यह परिणाम है कि सदियों से उपेक्षित दलित व शोषित वर्ग जिनको देखना और छूना पाप था, जिनकी परछाईं तक अपवित्र समझी जाती थी, जिनके चलने फिरने के मार्ग, कुएँ, तालाब ,मन्दिर और बस्तियाँ क्या श्मशान घाट तक अन्य देशवासियों की घृणा के कारण अलग थे। आज सामाजिक समानता की मंजिल की ओर छलांगें मारते हुए आगे बढ़ रहा है। कल तक छुआछूत

और बेगार की प्रथाएं, जिन्हें हिन्दू धर्म जायज ठहराता था। आज अपराध है।[43]

कल तक जिनको विद्या प्राप्ति की इजाजत नहीं थी ,आज वही सवर्णो के शिक्षक है। जो शीश झुकाकर रहते थे, आज सीना तानकर चलते है। क्षमा व दया की भीख मागने वाले डा0 अम्बेडकर द्वारा पैदा की गई चेतना के कारण अब शोषकों को चुनौती दे रहे हैं। हिन्दू धर्म के अछूतों पर बहुत से प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे पढ़ने–लिखने पर प्रतिबंध, वेद वाक्य सुनने पर प्रतिबंध ,गाँव के अदंर रहने पर प्रतिबंध, धन संचय करने पर प्रतिबंध ,चारपाई पर सोने पर प्रतिबंध, मनचाहा व्यवसाय अपनाने पर प्रतिबंध और न जाने किस–किस बात पर प्रतिबंध। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अछूतों के लिए हिन्दू धर्म में प्रतिबंध ही प्रतिबंध थे, जो कि आज भी हिन्दू शास्त्रों में लिखे हुए मिल सकते हैं। बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर ने आजीवन अथक प्रयास व कठोर परिश्रम द्वारा दलित वर्गो पर से न केवल ये प्रतिबंध हटवाये अपितु अछूतों को अनेक हक भी दिलवाये ।

आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं है। परन्तु वे हमारी उन्नति के बहुत सारे मार्ग खोल गये और हमे हमारे छीने गये अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिये एक महामंत्र देकर गए, ''शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।''[44]

### 4– कुशल बैरिस्टर एवं सेवा की भावना –

बल्लभभाई पटेल ने बचपन से ही विलायत जाने के सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए अगस्त 1910 में एक समुद्री जहाज द्वारा इंग्लैण्ड हेतु प्रस्थान किया। उन्होंने सम्पूर्ण रोमन लॉ का भलीभांति

अध्ययन कर लिया था। सितम्बर 1910 में उन्होने मिडल देम्पल में प्रवेश लिया तथा कुछ ही महीने बाद आयोजित रोमन लॉ की परीक्षा आनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बल्लभभाई पटेल का निवास मिडल टेम्पल के पुस्तकालय से लगभग 11 से 12 मील पर था। आर्थिक साधनों के अभाव में वे अच्छी पुस्तकें क्रय नहीं कर सकते थे।

अतः उन्होंने नियमतः प्रतिदिन पुस्तकालय में ही जाकर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। वे प्रतिदिन पैदल चलकर प्रातः नौ बजे पुस्तकालय पहुंच जाते थे और सायं 06 बजे तक अध्ययन करके पैदल ही अपने निवास स्थान पर वापस आते थे। कभी–कभी वे सत्रह घण्टे तक अध्ययन करते रहते थे।

वैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके 13 फरवरी 1913 को बल्लभ भाई बम्बई आये तथा अगले ही दिन अहमदाबाद चले गये। उनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर बेसिल स्काट से अच्छा परिचय था। अतः बम्बई में उनसे मिले। सर वेसिल ने बल्लभ भाई को सलाह दी कि यदि वे बम्बई ही में रहें तो उनकी सम्भव सहायता करते रहेगें। उन्होने बल्लभ भाई की एक लॉ कालेज में प्रोफेसर के पद की भी पेशकश की, परन्तु बल्लभ भाई ने अहमदाबाद में ही रहकर वकालत करना पसन्द किया।

पटेल साहब को मनुष्य की बुद्धि का इतना अधिक ज्ञान था कि एक बार गौर से किसी व्यक्ति को देखकर ही वे जान लेते थे कि इससे किस तरह अपने मतलब की बात निकाली जा सकती है। वे मनुष्य के स्वभाव की पहली नजर में ही पूर्ण रूप से जॉच करके उस पर जिरह द्वारा ऐसा हमला बोल देते थे कि व सँभल भी नहीं पाता था। अहमदाबाद में उनकी प्रशंसा वकालत की दृष्टि से कम किन्तु निर्भिकता की दृष्टि से बहुत अधिक थी। साफ–साफ कहने में वे अदालत के न्यायधीशों से भी नहीं चुकते थे। वे जज का पुलिस की ओर अन्यायपूर्ण झुकाव बरदास्त करते थे । यदि उन्हे

किसी जज का पुलिस की ओर या अपने विपक्षी की ओर अनावश्यक दिखाई देता तो वे साफ–साफ जबाब दिये बिना चुप रह नही सकते थे।[45]

उनका जीवन एक खुली पुस्तक के समान था। वे उस व्यक्ति से घृणा करते थे जो स्पष्ट न हो तथा शंका की परिधि में हो। यह काल उनकी स्पष्टवादिता, योग्यता, निर्भिकता, बुद्धि चातुर्य, लगन और त्याग की भावना, निस्वार्थता, श्रद्धाशीलता, परमशक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और यशस्वी व्यक्तित्व का पूर्व संकेत था। परन्तु वैरिस्टरी करना उनके भाग्य मे लिखा नही था ।

वल्लभभाई के बड़े भ्राता विट्ठल भाई पटेल बम्बई में वकालत करते थे, परन्तु उनका बहुत सा समय सार्वजनिक कार्यो में व्यतीत होता था। इसलिये उनका खर्च चलाने की जिम्मेदारी भी वल्लभभाई के कन्धों पर आ पड़ी। वे इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे अकसर कहा करते थे, ''भारत को स्वतंत्र कराना हो तो किसी न किसी को तो सेवा में लगना चाहिये। हम दोनों भाईयों ने काम का बॅटवारा कर लिया है। विट्ठलभाई देश सेवा करें, मै पैसा कमाऊँ। वे पुण्य कमाये, मैं पाप कमाऊँ। परन्तु वे जो काम करेंगे उसमें मेरा भाग तो रहेगा ही। ''विट्ठल भाई राजनिति में प्रवेश करके सन् 1913 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गये थे। अपने भाई की सफलता ने वल्लभभाई को राजनीति की ओर आकर्षित किया।[46]

डा0 अम्बेडकर ने भारत लौटने के पश्चात वकालत करने का निश्चय किया, क्योंकि वकालत करते हुए उन्हे जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सकता था और साथ ही जीवन–निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सकते थे। यहाँ भी अछूत का लेबल उनके साथ लगा रहा। साथी वकील उन्हें पूर्ण आदर सम्मान नहीं देते थे। कई उनका मजाक उड़ाते थे

उन पर व्यंग करते और उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग करना पाप समझते। कुछ जज भी डा0 अम्बेडकर से ईर्ष्या करते थे। भाँति–भाँति की कठिनाइयों के होते हुए भी एक वकील के रूप में डा0 अम्बेडकर के पाँव जमने लगे। डा0 अम्बेंडकर के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया।[47]

तीन लेखकों बाग्डे, जेधेव जावलकर ने ''देश के दुश्मन'' नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें लेखकों ने समाज को जातियों में बाँटकर और छुआ–छूत फैलाकर देश को पतन की ओर ले जाने के लिये ब्राह्मणों को भारत का नाश करने वाला कहा और ब्राह्मणों को देश का दुश्मन सिद्ध किया। यह भी लिखा कि ब्राह्मण निचली जाति वालों को पशु से निम्न स्तर का समझते हैं। लोगों को गुमराह करते हैं। धर्म के नाम पर पाखण्ड फैलाते हैं और देश को पतन की ओर ले जाते हैं। इस पर पूना के पाँच ब्राह्मणों ने लेखकों पर मानहानि का केस दायर किया था। डा0 अम्बेडकर ने लेखकों की पैरवी की। उन्होंने अपने तर्कों द्वारा ब्राह्मणों की दलीलों की धज्जियाँ उड़ा दी व साबित किया कि लेखकों ने केवल एक सच्चाई का वर्णन किया है। ब्राह्मण केस हार गये। इस विजय से एक वैरिस्टर के रूप में उनकी ख्याति दूर–दूर तक फैल गयी और बम्बई हाईकोर्ट में उनका नाम चमकने लगा। बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर जोहन वैनम पहले डा0 अम्बेडकर से ईर्ष्या किया करते थे, परन्तु डा0 साहब ने अपने मुकदमों के पक्ष में अपनी विद्ववता को पूर्ण दलीलों द्वारा अपनी योग्यता से चीफ जस्टिस का मन जीत लिया।[48] फिर तो चीफ जस्टिस डा0 साहब के केसों के सुनवाई के समय स्वयं जजों की बेन्च पर बैठने की इच्छा करते थे। जिस चीफ जस्टिस ने डा0 अम्बेडकर को गर्वनमेन्ट लॉ कालेज के प्रिंसिपल की नौकरी से दूर रखा था, वही डा0 साहेब की विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह पद उन्हें देने की स्वयं सिफरिश की, इस प्रकार डा0 अम्बेडकर एक सुलझे हुए योग्य और प्रमुख वकील व अछूतों के

नेता के रूप में स्थापित हो गये। डा0 साहब की स्पष्ट वादिता व विद्वता का लोहा मानते हुए बम्बई के राज्यपाल ने डा0 अम्वेडकर को बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया।

इसी समय बम्बई सरकार ने 01 जून 1935 से बाबा साहब को सरकारी लॉ कालेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लार्ड व्रेबोर्न ने बाबा साहेब को जिला न्यायाधीश नौकरी पेश की और साथ ही कहा कि उन्हें शीघ्र ही हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जायेगा। उस समय के नियम के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं ले सकता था। बाबा साहेब ने घोषणा की कि ''न्यायाधीश तो क्या यदि मुझे वायसराय बनाये जाने का प्रलोभन दिया जाये तो भी मै ठुकरा दूंगा। मेरे समक्ष अपनी जनता का भविष्य है, मेरा अपना नहीं''। [49]

## 7– लौह पुरूष एवं बाबा साहेब :

नियति के नियम तो नियम होते हैं। वे बड़े अटल निश्चित और निर्णायक होते हैं। उसमें अपवाद नहीं होता। गुजरात और देश की स्वाधीनता के लिए लड़े जाने वाले युद्ध में वल्लभभाई और बारदोली का जो हिस्सा, रिश्ता और योगदान विधाता ने भाग्य में लिख रहा था, उसका अंशतः और अक्षरशः पालन हुए बिना न स्वाधीनता की लड़ाई आगे बढ़ सकती थी और न हमारा द्वार खटखटा सकती थी। सन 1921 में ही बारडोली सत्याग्रह के लिए उद्यत था, किन्तु चौरी–चौरा काण्ड की हत्यारी घटना के कारण उसे इस सौभाग्य से वंचित होना पड़ा।

सन् 1928 में नये बन्दोबस्त के अनुसार सरकार ने बारडोली तालुके की जमाबन्दी में लगभग 30 प्रतिशत लगान बढ़ा दिया। इधर काश्तकारों की जो माली हालत थी और खेती का जो स्तर था उसमें लगान वृद्धि न

केवल असामयिक था अपितु बहुत ही अवांछनीय और एक बड़ा अन्यायपूर्ण कदम था। सरकार की नियत और उसकी नीतियों से लोग तंग आ रहे थे। अतः उन्होंने इस लगान वृद्धि के विरोध के लिए एक बार फिर वल्लभभाई के सहयोग की माँग की। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में बारडोली सत्याग्रह का विशिष्ट स्थान है जिसके कुशल संचालन और सफलता ने वल्लभभाई पटेल को ''सरदार'' की उपाधि से सुशोभित किया तथा गांधी जी का एक विश्वसनीय सहयोगी बना दिया। बारडोली के किसान आन्दोलन के उपरान्त पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आये। विनोबा भावे के अनुसार, ''पटेल के दो महत्वपूर्ण कार्यों ने उन्हें भारती इतिहास में अमर बना दिया, प्रथम बारडोली सत्याग्रह (1928) तथा द्वितीय देशी रियासतों की एकीकरण।'' [50]

पट्टाभि सीतारमैया ने इसकी तुलना ''इजराइलियों का मिश्र से कैनान को बहिर्गमन'' तथा ''तातिरों का जार की निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह'' से किया है।[51]

बारडोली ताल्लुके की जनता के स्वभाव व चरित्र के कारण ही गांधी जी ने 1922 में इस स्थान को ''सामूहिक सविनय अवज्ञा'' के प्रयोग हेतु चुना था। परन्तु 5 फरवरी को गोरखपुर में चौरी–चौरा काण्ड के उपरान्त उन्होने उस विचार को छोड़ दिया। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए लगान के विरुद्ध आन्दोलन चलाकर इस चिन्गारी को पुनः प्रज्वलित किया। एक स्थान पर अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करते हुए उनका परिचय मिल जाता है। वे कहते हैं कि ''किसान डरकर दुःख उठाये और जालिमों की लात–घूसे खाये, इससे मुझे शर्म आती है। मेरे जी में आता है कि किसान को कंगाल न रहने देकर खड़ा कर दूँ और स्वाभिमान से सिर ऊँचा करके चलने वाला बना दूँ। इतना करके मरूँ तो अपना जीवन सफल समझूँगा।'' सत्य तो यह है कि उनकी सेवा और सार्वजनिक जीवन का ध्येय ही ये

दीन–हीन किसान थे, जो दिन–रात ताप से झुलसकर देश के लिए दाना अन्न उगाते और जुटाते हैं। किन्तु स्वयं निर्धन, निर्बल और निस्तेज बने हुए हैं। उनका दीनहीन और निस्तेज चेहरा अभाव और आपदावों से आक्रान्त हृदय की बेवसी जो उनके चेहरों की आकृति और आँखो से झाँकती हुई दृष्टिगोचर होती थी। बल्लभ भाई के मन और उनके आत्मा को कचोटने लगी, उन्होंने बारडोली के इन किसानों को जो अपनी फरियाद लेकर उनके पास आये थे, आश्वस्त कर, बारडोली कांग्रेस को बढ़े हुए लगान के मुद्दे की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया बारडोली कांग्रेस की जाँच रिर्पोट मिलने पर बल्लभ भाई स्वयं बारडोली गये वहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में जनता से सीधा प्रश्न किया कि वे प्रतिशोध के लिए कहाँ तक तैयार हैं। उन्होनें इस सभा में सीधे सत्याग्रह की सफलता का आश्वासन न देकर किसानों के चरित्र, उनकी निष्ठा और लगन को चुनौती देते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्हें सत्याग्रह के दरम्यान आने वाली आपदाओं का हवाला देकर जो बातें कही उनमें उनके नीचे वाक्य उल्लेखनीय है। उन्होनें कहा कि ''मेरे साथ खेल न किया जाये, मै ऐसे काम में हाथ नहीं डालता जिसमें जोखिम न हो, जो लोग जोखिम उठाने को तैयार हो वे मेरे साथ आयें मै उनका साथ दूंगा।''

इस प्रकार बहुत साफ बातें लोगों को बताकर उन्हें सात दिन की मोहलत देकर बल्लभ भाई अहमदाबाद लौटे। उसके बाद गर्वनर को एक विस्तृत किन्तु विनम्र और मार्मिक पत्र लिखकर यह मांग की कि किसानों के साथ न्याय दिलाने की दृष्टि से यह जरूरी है कि नई जमा बन्दी के अनुसार लगान वसूली का काम फिलहाल मुलतबी किया जाये और सारे मामले की नये सिरे से जांच करायी जाये। उन्होंने अपने इसी पत्र में यह भी साफ लिख दिया कि सम्भव है, यह लड़ाई तीव्र रूप ग्रहण कर ले परन्तु इसे रोकना अपने हाथ में है। इस पर गवर्नर के सेक्रेटरी का एक

छोटा सा उत्तर बल्लभ भाई को मिला कि ''आपका पत्र निर्णय के लिए माल–विभाग के पास भेज दिया गया है''

इधर किसानों की दी गई अवधि पूरी हो चुकी थी। अतः बल्लभ भाई बारदोली पहुँचे। वहाँ लोगों के साथ जी भर कर चर्चा कर एक–एक आदमी से अलग–अलग बात कर सामूहिक रूप से सबकी राय मालुम कर, एक–एक गाँव में लोगों से घुमा फिराकर पक्ष–विपक्ष में तर्क–वितर्क कर सवाल पूछे। उनके चेहरों आँखों और दिलों की गहराइयों तक झाँक कर उन्हें देखा, सब ओर बल्लभ भाई को एक उत्तर विश्वास और निश्चय दिखाई दिया, वह था सत्याग्रह। वे लोगों के निश्चय विचारों के संयम उत्साह और दृढ़ता से प्रभावित हुए, किन्तु उन्होनें एक बार फिर उन्हें इस संघर्ष में आने वाले संकटों के प्रति आगाह करते हुए कहा, ''यह लड़ाई जबरदस्त खतरों से भरी हुई है। जोखिम भरा काम अच्छा नहीं है, किन्तु किया जाये तो किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना चाहिए हारोगे तो देश की इज्जत मिट जायेगी, मजबूती से डटकर जीतोगे तो समस्त देशवासी को इसका लाभ होगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी। अगर मन में हो कि बल्लभ भाई जैसा लड़ने वाला मिल गया है केवल इसलिए लड़ेंगें तो लड़ो ही मत, क्योंकि अगर तुम हार गये तो निश्चय मानो की सौ वर्ष तक नहीं उठोगे हमें जो करना है वह तुम्ही को करना है। इसलिए पूरा विचार कर अच्छी तरह समझकर जो करना चाहो सो करो।''[52] सरकार के विरुद्ध एक होकर मुकाबला करने की सलाह देते हुए पटेल ने कहा कि ''सरकार के पास तो तोपें हैं, बन्दूकें और हुकूमत। परन्तु आपके पास सत्य का बल है। दुःख सहने की शक्ति है। अब इन दो शक्तियों का सामना है। अगर आपको यह निश्चय हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो उसका सामना करना हमारा धर्म है.....जालिम से जालिम सत्ता भी उस प्रजा के सामने नहीं टिक सकती जिसमें एकता है।[53] पटेल ने प्रतिनिधियों को स्वयं

अपने ही बल पर विश्वास करने की सलाह दी। सरकार से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 12 फरवरी 1928 को बारदोली में ताल्लुकों के समस्त प्रतिनिधियों की सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लगान वृद्धि को ''अनुचित, अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण ''बताया गया तथा चेतावनी दी गयी कि यदि सरकार निष्पक्ष समिति द्वारा इस लगान वृद्धि के मामले की जाँच फिर से कराने के लिए तैयार न हो तब तक सरकार को लगान बिल्कुल न दो। सरकार द्वारा जबरदस्ती लगान वसूली का विरोध किया जाय। [54] प्रस्ताव पास होने पर आन्दोलन की सफलता और असफलता का समस्त भार बल्लभ भाई के ऊपर आ गया। किसानों को अभिप्रेरित करने के लिए पटेल ने बीकानेर ,बराड़, बड़े कुआँ, बालोड़, कड़ोद आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया तथा जोशपूर्ण भाषण दिये। अपने भाषण में उन्होने मुख्य रूप से दो बातों पर विशेष बल दिया। प्रथम सरकार जनता में मतभेद करके विभाजित करने का प्रयास करेगी, जिससे जनता को सतर्क रहना होगा। द्वितीय सरकार नेताओं को गिरफ्तार करेगी तथा अच्छी भूमि कुर्क करेगी। हमारा अनुशासन ही जीत की कुंजी है। सरकार के तो हर गाँव केवल दो ही आदमी एक पटेल तथा दूसरा तलाती होते हैं। हमारे पक्ष में तो सम्पूर्ण गाँव ही है।[55] आन्दोलन की सफलता के लिए सम्पूर्ण ताल्लुका को 5 मुख्य भागों में बाँटा गया और उन पर एक–एक मुख्य विभागपति रख दिया गया। इसके साथ ही सत्याग्रह छावनियों की स्थापना की गई। प्रत्येक छावनी को एक या दो प्रमुख कार्यकर्ताओं के अधीन रखा गया। जो इस प्रकार से है–

1. ऋऋऋऋऋऋऋऋबराड़ : मोहनलाल पंडया

2. वालदा : अम्बालाल देसाई

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | बीकानेर | : | लालभाई अमीन |
| 4. | स्यालद | : | फूलचन्द बापूजी शाह व अब्बास तैयब जी |
| 5. | बारदौली | : | डा0 धीया वचीनाई |
| 6. | मोता | : | बलवन्त राय |
| 7. | बाजीपुरा | : | नर्मदा शंकर पंडया |
| 8. | बुहारी | : | नारजभाई पटेल |
| 9. | सरभण | : | रविशंकर व्यास व डा0 सुमन्त मेहता |
| 10. | सीकर | : | कल्याणजी बालजी |
| 11. | आफबा | : | रतन जी भगाभाई पटेल |
| 12. | बापजी | : | दरबार गोपालदास भाई देसाई |
| 13. | बालोट | : | चन्दूलाल देसाई इत्यादि। |

इसके साथ ही बारदौली में एक प्रकाशन विभाग तथा सत्याग्रह कार्यालय की स्थापना की गयी। सत्याग्रह कार्यालय द्वारा अधीन गाँवों के समाचार विभाग पति के कार्यालय में जाने लगे तथा प्रधान कार्यालय से प्रतिदिन जो सूचनायें आदि भेजी जाती थीं, वे दिन प्रतिदिन विभागपतियों के कार्यालयों द्वारा गाँव–गाँव में पहुँचा दी जाती थी। प्रकाशन विभाग प्रतिदिन ''सत्याग्रह खबर पत्र'' तथा ''सत्याग्रह पत्रिका'' प्रकाशित करता था जो निःशुल्क वितरित की जाती थी। प्रारम्भ में इसकी देख–भाल गुजरात के एक लेखक व कवि जगतराम दुबे करते थे, परन्तु बाद में

इसका प्रकाशन प्यारेलाल के अधीन हो गया। सह समाचार अशान्त जनता का क्रान्तिकारी भोजन था।[56] यह विभाग आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पटेल तथा अन्य विभागपति गाँवों में जाकर अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा जनता को उत्साहित करते थे। संगठन एक अनुशासन में बँधा हुआ था। जो स्वयंसेवक अपने नायक या विभागपति के आदेशों का पालन करता था। जो स्वयं सेवक आचरण में शिथिल पाया जाता था उसे तत्काल हटा दिया जाता था। अनुशासन की सह कठोरता मात्र स्वयं सेवकों तक ही सीमित न थी। बल्लभ भाई तथा विभागपति भी कठोर अनुशासन के अधीन थे। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था, ''मनमाने तौर पर लगाये गये अन्यायपूर्ण लगान का प्रतिरोध'' तथा ''निष्पक्ष न्यायाधिकरण की नियुक्ति'' थी।

एक ओर सत्याग्रह संग्राम पूरे उत्साह से जारी थी तो दूसरी ओर सरकार बारदौली के किसानो को झुकाने के लिए सरकार ने कुर्की के नोटिस जारी किये। सर्वप्रथम यह नोटिस बनियों को दिये गये। सरकार लगान की वसूली के लिए नित नये न्यायहीन, निन्दनीय और निकृष्ट उपाय काम में ला रही थी। एक तरफ लोगों को बहकाने ,बरगलाने और गुमराह करने वाले सरकारी फरमान और आदेश निकाल रहे थे तो दूसरी ओर बल्लभ भाई के तेज, तीखे और तूफानी भाषण और मन्तव्य जनता का मनोबल, उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ा रहे थे। बारदौली के मैदान में सरकार और सत्याग्रह दो दलों का यह संग्राम साकार युद्ध का रूप ले चुका था। इस युद्ध की विशेषता थी कि एक ओर अनैतिक उपायों और युद्ध आयुधों से पूर्णता सज्जित ब्रिटिश सरकार का यांत्रिक दल था तो दूसरी ओर स्वदेशी और राष्ट्रीय भावनाओं से भरा, निहत्था मात्र सत्याग्रह। दोनों के इस युद्ध रूप और युद्ध साधनों के विभिन्नता के साथ उनके उद्देश्यों की भिन्नता भी इसकी विशेषता थी। एक अपने प्रतिद्वन्दी को

परास्त करने और अपने हित साधन के लिए आवश्यकता हो तो पूरे पशुबल द्वारा उसे बर्बाद करने पर अमादा था, तो दूसरा दल न केवल अपने हित भाव से प्रेरित था अपितु प्रतिद्वन्दी के हित भाव से भरा मात्र उसका हृदय परिवर्तित करना चाहता था। मानव के उस नैतिक और नैसर्गिक अधिकार के लिए जिसका अधिकारी होने का दावा केवल वह कर रहा है। पहले का आधार, दुराचर और दुराग्रह था, तो दूसरे का सदाचर और सत्याग्रह। एक आरोपी और अक्रामक था, तो दूसरा आत्मानुशासित और अंहिसक, एक का आधार मात्र सत्ता और उसका पशुबल था, तो दूसरे का विनय। इससे जान पड़ता था कि चिर् सुधित सिंह के सामने आज भेड़ों का समूह आ खड़ा हुआ है और उन्हें देख केवल उनकी भूख ही नहीं भाग गई अपितु भय और आत्मग्लानि से पीड़ित हो वह स्वयं भाग जाना चाहता है, अपने उसी जंगल में जहाँ से वह आया था। उसकी आवाज मे अब दिल दहलाने का वह घोष नहीं रहा जिसे सुनकर लोगों का कलेजा कांपने लगता था, उनके पैर थर्राने लगते थे। अब तो उसके दहाड़ से उल्टा जोश उमड़ता है, पैर थामे नही थमते और उसके मुकाबले की व्यथा बढती है। गांधी जी ने इस दमनचक्र की तुलना डायर शाही से की, जिसकी नीति के ऊपर ही नौकरशाही का अस्तित्व निर्भर है।''[57] सरदार बल्लभभाई तो मानो यामिन हो रहे थे.....सभाओं में उनके भाषण मुर्दो में भी जान डाल देते थे। पुरूष और स्त्रियाँ उन्हें अपना इष्ट देवता समझने लगी थी। महादेव जोशी ने अपनी पुस्तक बारदौली की कहानी में इन अविस्मरणीय सभाओं तथा उन भाषणों का वर्णन किया है जिसमें लोगों को नये क्रान्तिकारी सिद्धान्त की जानकारी मिली। एक भाषण में पटेल ने कहा, आज तो सरकार जंगल में घूमने वाले पागल हाथी की तरह मदोन्मत हो गयी है जो अपनी चपेट में आने वाले हर किसी को कुचल डालता है। पागल हाथी मद में यह मानता है कि उसने शेर चीतों को मारा है तो उसके सामने मच्छर की क्या

गिनती, परन्तु शक्तिशाली हाथी के कान में मच्छर के घुस जाने पर तड़प तड़प कर सूंड़ पछाड़ते हुए जमीन पर लोटने लगता है। [58]

22 मई को बम्बई की धारा सभा के आठ सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया।[59] मौलाना शौकत अली ने अनेक मस्जिदों में भ्रमण करके सत्याग्रह के लिए चन्दा इकट्ठा किया। 28 मई को बम्बई में बारदौली सत्याग्रह के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए एक सार्वजनिक सभा हुई। अपने अध्यक्षीय भाषण में मदन मोहन मालवीय ने भविष्यवाणी की कि अन्तिम विजय बारदौली की जनता की होगी।[60] जयरामदास दौलत राम ने बहुत ही उत्कृष्ट भाषण दिया तथा कहा कि ''दिन–दहाड़े चोरी करने वाले पठानों को एक दिन भी बारदोली में रखना सरकार के लिए अत्यन्त ही लज्जाजनक है।[61]

सत्याग्रह में जनता का यह बढ़ता हुआ जोश सरकार के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गया कि उसके इलाज की उसे अब ढूढ़े से भी दवा नहीं मिल रही थी। सरकार के समक्ष मुख्य समस्या बारदौली के किसानों के संगठन को तोड़ना था तथा सम्प्रदायवाद के माध्यमों से शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से देने के आदेश दिये। इसका उत्तर देते हुए पटेल ने कहा, ''हमारा संगठन आत्मरक्षा के लिए है, किसी को दुःख देने के लिए नहीं। आत्मरक्षा के लिए भी संगठन न करना तो आत्म हत्या करने के ही समान है।[62]

किसानों को सचेत करते हुए पटेल ने कहा, ''दो किस्म की मक्खियाँ होती है–एक मक्खी दूर जंगल में जाकर फूलों से रस लेकर शहद बनाती है, तो दूसरी मक्खी मैले पर ही बैठती है और गंदगी फैलाती है। मैने सुना है कि आपके यहाँ संक्रामक मक्खियाँ काम कर रही हैं। इन मक्खियों को अपने पास आने ही न दीजिए। आप गंदगी और मैल ही

अपने में मत रखिये जिससे ये मक्खियां आपके पास आयें।''[63] 12 जून 1928 को सम्पूर्ण देश ने ''बारदौली दिवस'' मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने लोगो से आग्रह किया कि ''12 जून को आत्मशुद्धि यज्ञ करें। स्वेच्छा से अपना साम्राज्य, कामकाज अथवा आजीविका का धन्धा बन्द रखें और बारदौली की लड़ाई में सहायता देने के लिए धन संग्रह करें।[64] 12 जून को सम्पूण देश में ''वारदौली दिवस'' मनाया गया। बम्बई में समस्त बाजार बन्द रहे। बल्लभ भाई के साहसी कदम की प्रशंसा की गयी और धन एकत्रित करके भेजा गया।[65]

17 जून को बम्बई धारा सभा के सदस्य के0एम0 मुंशी ने धारा सभा से त्याग पत्र दे दिया तथा वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए बारदोली का भ्रमण किया। बारदौली में अत्याचारों की जाँच हेतु एक समिति नियुक्त की गई जिसके अध्यक्ष के0एम0 मुंशी थे।

जुलाई में सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए भडौर में एक जिला परिषद आयोजित की गई जिसके स्वागताध्यक्ष के0एम0 मुंशी खुर्शीद नरीमन थे। बारदौली में जैसे–जैसे लोकमत शक्तिशाली होता गया वैसे वैसे सरकार की स्थिति नाजुक होती गई। यदि सरकार दमन करें तो उसकी बदनामी होती थी क्योकि किसान तो अहिंसक थे। यदि वह अपनी माँग के सामने सिर झुकाकर समझौता कर ले तो उसका सारा आतंक प्रभाव और प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाता है।[66] ''दी टाइम्स आफ इण्डिया'' के संवाददाता अय्यर कुछ समय के लिए बारदोली में रहे, उन्होने सूचना भेजी कि बारदौली में बोलेजिस्म का प्रारम्भ होगया है। [67] पटेल वहाँ के लेनिन है। सत्याग्रहियों ने सरकारी प्रशासन को मूक तथा पंगु बना दिया है।[68]

18 जुलाई 1928 को सूरत के गवर्नर तथा उनके सलाहकारों और पटेल व उनके सहयोगियों के मध्य वार्तालाप हुई। सरकार की ओर से गवर्नन लेस्ली विल्सन कमिश्नर डब्लू0डब्लू स्मार्ट तथा सूरत जिले के कलक्टर हार्ट शोर्न उपस्थित थे। सत्याग्रहियों की ओर पैदल के अतिरिक्त अब्बास तैयब शारदागेन मेहता भक्ति लक्ष्मीगोपालदास देसाई, मीठूबेन ,पेटिट व कल्याण जी मेहता थे। सरकार की ओर से शर्त रखी गई कि पुराना लगान जमा कर दिया जाये तथा बढ़े हुए लगान का शेष किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाये। वर्तमान आन्दोलन बन्द कर दिया जाये, उपरोक्त शर्तो को स्वीकार करने पर सरकार जांच समिति नियुक्त करने का आश्वासन देगी।[69] जबकि बल्लभ भाई की ओर से शर्ते रखी गई कि बन्दी सत्याग्रहियों को बिना शर्त छोड़ दिया जाये, जिन लोगों के मवेशी बेचे गये, उन्हें मुआवजा दिया जाये, जो जमीन कुर्क की गई उन्हें मालिको को वापस दी जाये तथा सरकार लगान वृद्धि के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष जांच समिति नियुक्त करें।

गवर्नर को पटेल द्वारा प्रस्तुत शर्ते अस्वीकार थी। 20 जुलाई को पत्रकार सम्मेलन में पटैल ने कहा कि ''क्योंकि हम सिद्धान्तों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सहमत न थे, अतः समझौते की कोई आशा न थी। [70] तब भी पटेल अपनी ओर से वार्ता तोड़ने के पक्ष में न थे, अतः उन्होने विनम्र भाषा में गवर्नर से आग्रह किया कि ''यदि गवर्नर का मत है कि मुझे सूचित करें'' [71] परन्तु पटेल को कोई सफलता न मिली। सूरत वार्ता की असफलता संदेश में निराशा का वातावरण छा गया। सरकार की अदूरदर्शिता तथा हठधर्मी की निन्दा की गई। पं0 मदनमोहन मालवीय ने गवर्नर द्वारा बढ़ाये हुए लगान के अन्तर को खोजने में जमा करने की शर्त को अनुचित बताया, बल्कि उनके अनुसार समझौते के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या सरकार की अपनी प्रतिष्ठा की मिथ्या भावना है।[72] गांधी जी ने एक

टिप्पणी ''बारदौली के साथ मेरा सम्बन्ध'' में लिखा है, मै बारदोली के सत्याग्रह में उसके प्रारम्भ से ही पड़ा हूं उसके नेता बल्लभ भाई है और वे जब भी जरूरत हो मुझे बारदौली ले जा सकते हैं। उन्होने इस लड़ाई में जो कदम उठाये हैं उनमें उनसे मेरी पूर्ण सहानुभूति है।[73] पं0 हृदयनाथ कुंजरू के अनुसार, ''बल्लभ भाई की निष्पक्ष जाँच की माँग उचित तथा न्यायपूर्ण है।[74] समाचार पत्रों द्वारा भी सरकार की नीति की आलोचना की गई। पायनियर के अनुसार, ''किसानों द्वारा प्रथम बढ़ा हुआ लगान जमा करना तथा पुनः वापस मांगना अन्यायपूर्ण है।[75] स्वराज्य ने लिखा कि ''गवर्नर समझौते की मनोदशा में नहीं है।[76] हिन्दू के अनुसार ''गवर्नर ने एक सन्तोषजनक समझौते के अवसर को खो दिया। लीडर के मत में गवर्नर की शर्ते बारदौली के किसानों के लिए सम्पूर्ण होगा।[77] दूसरी ओर इंग्लैण्ड में सहायक सचिव भारत मंत्री अर्थ विटरटन ने कामना सभा में कहा ''बम्बई की धारा सभा में गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने बारदोली के सम्बन्ध में जो शर्ते प्रस्तुत की है वे यदि पूरी की गई तो बम्बई सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस आन्दोलनकारियों को कुचल दे और जनता को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करें। शर्तो को न मानने का अभिप्राय है कि आन्दोलनकर्ताओं की शिकायतें वास्तविक नहीं है वे केवल सरकार को मजबूर करना चाहते है। [78]

गर्वनर लेस्ली विल्सन की धमकी का सत्याग्रहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सम्पूर्ण देश की सहानुभूति सत्याग्रहियों के प्रति बढ़ रही थी। गांधी जी के शब्दों में ''गवर्नर की धमकी और टिरटन द्वारा उसका पूर्ण अनुमोदन भी बारदौली के लोगों पर कोई असर नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं सुनता तो यह भी हूँ कि इस धमकी से लोग और भी दृढ़ हो गये है।[79]

सरदार शार्दूल सिंह ने गांधी जी को एक पत्र में सलाह दी कि ''बारदौली के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए सविनय अवज्ञा प्रारम्भ किया जाये।[80] इसी बीच बम्बई के एक व्यापारी रामचन्द्र भट्ट ने बढ़े हुए लगान की सम्पूर्ण रकम खजाने में जमा करने की इच्छा प्रकट की, जैसा समझा जाता है कि इसके पीछे विट्ठलभाई पटेल का हाथ था।[81] इसके द्वारा गवर्नर के प्रतिष्ठा की रक्षा करना था। गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''जिस लगान के अनुचित होने के कारण सत्याग्रह शुरु हुआ है उनका तार अखबारों में छपा है। इन्होनें अगर सरकार की इतनी भेंट देने का विचार रखा हो तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसी भेट सरकार के मन का समाधान हो जाय, तो हमें इससे भी कोई द्वेष नहीं हो सकता। आज इसका निर्णय नहीं किया जा सकता कि बारदौली ताल्लुके के इस बम्बईवासी गृहस्थ ने यह रकम देना स्वीकार करके अपना या जनता का अहित किया है या नहीं। [82]

लालजी नौराजा जी, सर चुन्नीलाल मेहता ,भीमाभाई नाईक, बेचर ,जयराम, दौलतराम, के0एम0 मुंशी समझौते के इच्छुक थे। उनके अनुसार सत्याग्रह को और अधिक चलाना हानिप्रद भी हो सकता है। वे किसानो की मांगों को न्यायोचित मानते थे। पर साथ ही सरकार के प्रतिष्ठा की रक्षा करके एक सम्मानजनक समझौते के पक्षधर थे। उन्होंने सरकार का दृष्टिकोण जानने के लिए गवर्नर से बातचीत की गांधी जी के विचार जानने हेतु हरिभाई अमीन व नीमन पटेल से मिले। 02 अगस्त को गांधी जी बारदौली आये, प्रारम्भ में पटेल ने उस प्रस्ताव पर आपत्ति जतायी जो सरकार के प्रति प्रस्तुत किया जाना था। अन्त में समझौता कराने वाले सफल हुए सरकार ने तत्काल सत्याग्रही कैदियों को छोड़ने, जब्त हुई जमीने उनके पुराने मालिको को लौटाने ,पटेल तथा तलाटियों को नौकरी में पुनः लेने के आदेश पारित किये। समझौते का स्वागत करते हुए पटेल

ने 11 अगस्त को बारदौली की जनता के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा –

'' ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पूर्ण पालन हो चुका है। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के सम्बन्ध में हम जैसी जाँच चाहते थे, सरकार ने उसी प्रकार की जाँच समिति नियुक्त करना स्वीकार कर लिया है। जब्त की हुई जमीनें किसानों को वापस मिलेगी ,जेल में बन्द सत्याग्रही छोड़ दिये जायेगे, पटेल और तलाटियों को पुनः नौकरियों पर रख लिया जायेगा और जो भी छोटी–छोटी मांगें हमने पेश की थी उनकी भी स्वीकृति हो गयी है।'' [83]

यद्यपि सरकार के समर्थकों ने समझौते को लेकर बल्लभ भाई व सत्याग्रह के विषय में अनर्गल प्रलाप किया, परन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अभूतपूर्व सफलता मानी। श्रीमती सरोजनी नायडू ने काव्यात्मक भाषा में गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें इसे ''शान्ति की विजय'' बताया।[84] उन्होने लिखा, ''आपका सपना था कि बारदौली सत्याग्रह का एक सर्वांग्पूर्ण उदाहरण बने। उससे जो अपेक्षा की जाती थी उसे उसने अपने ढंग से पूरा किया है और साथ ही अपने सपनों की एक व्याख्या दी है, और उसे पूर्णता प्रदान की है।[85] गांधी जी इस सफलता का श्रेय बल्लभ भाई ,गवर्नर ,सरकारी अधिकारियों, विधान सभा के सदस्यों को दिया, जिन्होंने भी शुद्ध ह्रदय से यह चाहा हो कि लड़ाई में समझौता हो जाना चाहिए हमें इस विजय में उन सबका हिस्सा मानना चाहिए।''[86] गांधी के अनुसार, ''बल्लभभाई जैसे नेता के अथक प्रयत्नों से हमें यह विजय मिली है।''[87] सुभाषचन्द्र बोस ने पटेल को भेजे गये तार में कहा,''सम्पूर्ण देश इस अभूतपूर्व सफलता पर आपके साथ आनंदित है।''[88] के0 एम0 मुंशी ने इस घटना को भारतीय सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण विजय बताया।''[89] पटेल इसका श्रेय किसानों को देते हैं।

18 अक्टूबर 1928 को सरकार ने जांच समिति नियुक्त की। समिति को 01 नवम्बर 1928 से जांच के लिए पांच माह का समय दिया गया। समिति ने अपना कार्य निर्धारित समय से पूरा किया। 12 अपैल 1929 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय तक विल्सन के स्थान पर फेड्रिक साइक्स बम्बई के गवर्नर थे। जांच समिति ने किसानों की शिकायतों को सही पाया तथा जिन आधारों पर लगाना वृद्धि की संस्तुति की गई उसे दोषपूर्ण माना। जांच ने पुराने लगान पर 6.03 प्रतिशत वृद्धि की शिफारिश की, इस प्रकार कुल लगान 6,30,650 रूपये के स्थान पर 5,41,271 आँका गया।''[90] जांच समिति की रिपोर्ट सरदार पटेल द्वारा उठाये गये कदम के औचित्य तथा सरकार के अन्यायपूर्ण की सूचक थी। भारत के वायसराय ने भारत मंत्री को लिखे पत्र में स्वीकार किया कि '' बारदौली रिपोर्ट ने मेरे शक की पुष्टि कर दी जो मुझे सदैव था, कि गत वर्ष जिस निर्णय पर विल्सन निश्चितता के साथ दृढ रहे, वह उतना सुरक्षित न था, जितना कि वे सोचते थे।''[91]

इस प्रकार ''यंग इण्डिया'' के एक लेख में महादेव देसाई ने लिखा ''बारदौली का समझौता सत्य और अहिंसा का विजय है। यह सरदार पटेल की तीसरी विजय और स्वराज्य के मार्ग में उनके द्वारा तय की हुई तीसरी मंजिल है। नागपुर की विजय एक सैद्धान्तिक अधिकार के साथ मिली हुई थी जो एक स्थानीय शिकायत को दूर करने के लिए थी। बारदौली की विजय असाधारण इस बात में थी कि उसने केवल भारत का ही नहीं तमाम साम्राज्य का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और जनता की मांग में जो विनय और न्याय था, उसने सारे राष्ट्र के हृदय को अपने पक्ष में कर लिया था। इसने देश की जनता में ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक निराश नेताओं में नवीन प्राण डाल दिया ।''[92]

बारदौली के सरदार के विरूद्ध कविवर ''हरिवंशराय बच्चन'' ने इस प्रकार गाया था–

''पटेल के प्रति''

यदि प्रसिद्ध लौह का पुरूष प्रबल
यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल
हिला सका न इसे शत्रु दल
पटेल पर स्वदेश को गुमान है

सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किये जंग
हृदय गम्भीर है समुद्र की तरह।
कदम छुए जमी की सतह
पटेल देश की निगहबान है।

हर पक्ष पटेल को पटेल तोलता,
हरेक भेद को पटेल खोलता।
दुराभाव या छिपाव से उसे गरज?
कठोर नग्न सत्य बोलता
पटेल हिन्द की निडर जबान है।

बाबा साहेब का पारिवारिक जीवन उत्तरोत्तर दुःखपूर्ण होता जा रहा था। उनकी पत्नी बीमार चल रही थी। उनके पुत्र व पुत्री पहले ही देह

त्याग चुके थे। 25 मई 1935 को उन पर शोक और दुःख का पहाड़ ही टूट पड़ा, निर्दयी मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। रमाबाई ने घोर निर्धनता में भी बड़े संतोष व धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहेब का साहस बढ़ाया। उन्होंने सारी उम्र खुद कष्ट झेले और बाबा साहेब को पारिवारिक चिन्ताओं व झमेलों से दूर रखने की यथा सम्भव कोशिश की, ताकि बाबा साहेब का ध्यान दलित उत्थान के मार्ग से विचलित न हो। डा0 अम्बेडकर को विश्व विख्यात महापुरुष बनाने में उनका पूरा हाथ था। बाबा साहेब भी उनसे अगाध प्रेम करते थे। रमाबाई की मृत्यु से उन्हे बहुत गहरा आघात लगा। उन्होने अपने बाल मुड़वा लिए और फकीर से दिखने लगे, इसीलिए उनके अनुयायी उन्हे बाबा साहेब कहने लगे। [93]

## 8. सामाजिक व राजनैतिक चिन्तक –

सरदार पटेल ने समाज सुधार से पूर्व राजनीतिक सुधारों का सर्मथन किया, उनका मानना था कि यदि देश राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है तो समाज सुधार के क्षेत्र में स्वतः ही आगे बढ़ जायेगा। पटेल चाहते थे कि समाज सुधार के कार्य में शक्ति व्यय न करके पहले सम्पूर्ण शक्ति राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में लगा देनी चाहिए। राष्ट्रोत्थान होने पर हम स्वराज प्राप्त कर सकेगें और तब सामाजिक सुधार कार्य करना उचित होगा। यदि हमने सामाजिक सुधार को प्राथमिकता दी तो हमें कहना था कि ब्रिटिश शासक हमें अपने राजनीतिक लक्ष्य से भटकाने के लिए ही इस बात से उकसाते हैं कि हम पहले सामाजिक सुधार में अपनी शक्ति का व्यय करके राजनीतिक उन्नति के लिए वातावरण पैदा करें।

पटेल राजनीति की उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका दृष्टिकोण उदार तथा सुधारवादी न होकर क्रान्तिकारी था। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सक्रिय विरोध करने पर जोर देते थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन से प्रार्थनाएँ करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नही मिल सकती। उसके लिए स्वावलम्बन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता है। पटेल का राष्ट्रवाद अत्यन्त उग्र व तेजस्वी तथा राजनैतिक क्षेत्रों में उन्हें राजनीतिक उग्रवादी एवं राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। [94]

डा0 अम्बेडकर भारत के अछूत एवं दलित वर्ग के एक सामाजिक पैगम्बर थे। तत्कालीन समाज के वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने इस निम्न वर्ग के लोगों पर असमानता, अन्याय, छुआछूत और अपमानजनक व्यवहार का जो बोझ लादा था। उन्होने इसका विरोध किया था। इस स्थिति ने अम्बेडकर के मन में हिन्दुत्व के प्रति भारी कटुता को जन्म दे दिया था। जो उनके कार्यो व व्यवाहरों में स्पष्ट देखने को मिलता था। यही कारण है कि जिस समय अम्बेडकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं के अथक प्रयासों तथा बलिदानों से फलस्वरूप भारत को आजादी प्राप्त होने जा रही थी, उस समय वे आजादी लेने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि पहले हमे सामाजिक न्याय मिले, फिर आजादी। यद्यपि अम्बेडकर का ऐसा सोचना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था।

जाति प्रथा के उदय की चाहे जो भी स्थिति रही हो किन्तु वास्तविक व्यवहार में यह सर्वाधिक अन्यायपूर्ण थी और आज उस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। डा0 अम्बेडकर को उस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होने हिन्दुओं का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जो हिन्दू समाज के अंगों में भारी तनाव व संघर्ष को जन्म दे रही थी।[95]

डा0 अम्बेडकर जाति–पात, छुआ–छूत और ऊँच–नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे। वे इसे एकता, समानता व समरसता में बाधक मानते थे। उन्होंने पुजारीवाद व पुरोहित व्यवस्था को लोकतान्त्रिक बनाने पर बल दिया, ताकि इस कार्य में समाज के सभी वर्गो की भागीदारी हो सके। वे मानव धर्म के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि व्यक्ति अपने ज्ञान व गुणों से महान बनता है न कि किसी कुल या जाति में जन्म लेने से। राष्ट्रीय एकता के लिए वे समाज सुधार को आवश्यक मानते थे। [96]

डा0 अम्बेडकर अपने जीवन के अन्तिम समय तक सामाजिक न्याय और दलित उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें ऊँच–नीच और जात पात के भेदभाव से घृणा थी। पं0 नेहरू ने उनकी मृत्यु पर ठीक ही कहा था कि ''डा0 अम्बेडकर हिन्दू समाज के लिए किये गये दमनात्मक कार्यो के विरूद्ध विद्रोह के प्रतीक थे।'' वास्तव में डा0 अम्बेडकर के विचारों की प्रासांगिकता इस बात में है कि यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश को जाति संघर्ष के रूप में प्रारम्भ गृहयुद्ध के भयंकर विनाश से बचाना है तो डा0 अम्बेडकर का हमें पुर्नमूल्यांकन करना होगा और देश को उनके बताये गये मार्ग की ओर अग्रसर करना होगा।

डा0 अम्बेडकर की प्रजातन्त्र में अगाध आस्था थी। प्रजातन्त्र के स्वरूप के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट और व्यापक थी। उनका मानना था कि सामाजिक प्रजातन्त्र की एकता मे से ही राजनीतिक प्रजातन्त्र की शरीर का निर्माण होता है।[97] रग और रेशे जितने मजबूत होगें शरीर उतना ही मजबूत होगा। प्रजातन्त्रवाद समानता का ही दूसरा नाम है। डा0 अम्बेडकर के अनुसार मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। यह राष्ट्रीय एकत्व की भावना है न कि किसी वर्ग विशेष की भावना। अम्बेडकर की दृष्टि में राष्ट्रीयता की भावना ही राष्ट्रवाद का सार है।

डा0 अम्बेडकर का स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे मानव मूल्यों में उनका अमिट विश्वास था और इसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। वे न केवल जनता की वरन् भौगोलिक स्वतंन्त्रता के भी चिन्तक थे। डा0 अम्बेडकर के भाषा सम्बन्धी चिन्तन में ''महाराष्ट्र ऐज ए लिंग्विस्टिक स्टेट, थाटस् ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट नाट फार चेक्स एण्ड वैलेन्स'' में मिलते हैं।[98]

## 9– साम्प्रदायिकता विरोधी–

सरदार ने गाँधी जी की बंगाल यात्रा पर क्षोभ प्रकट किया और स्पष्ट किया कि बंगाल में उस समय तक शान्ति नहीं हो सकती जब तक कि मुस्लिम लीग यह न जान जाये कि उससे बदला भी लिया जा सकता है। 14 फरवरी 1947 को सरदार ने लार्ड वैवल को एक पत्र लिखकर अन्तरिम सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री गजनफर खाँ के लाहौर में दिए गये वक्तव्य पर रोष प्रकट किया, जिसमें उन्होंने कहा, ''मोहम्मद बिन कासिम तथा महमूद गजनवी ने केवल कुछ हजार सेना के साथ भारत पर हमला किया तथा लाखों हिन्दुओं को पराजित किया। खुदा ने चाहा तो कुछ लाख मुसलमान करोड़ों हिन्दुओं को पराजित करेंगे।[99] सरदार पटेल का आरोप था कि वित्त मंत्री लियाकत अली उनके प्रत्येक सुझाव को या तो अस्वीकार कर देते थे या बहुत अधिक संशोधन कर देते थे। वित्तमंत्री लियाकत अली ने अगले साल के बजट में व्यापारियों पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव पास किया। इसका सबसे अधिक प्रभाव हिन्दू व्यापारियों पर पड़ता जो कांग्रेस के समर्थक थे। अतः कांग्रेस मन्त्रियों ने वायसराय से हस्तक्षेप की माँग की और उनके प्रयास से यह संकट टल गया, परन्तु आन्तरिक विरोध इतना अधिक था कि पटेल ने यह धमकी दी कि यदि मुस्लिम लीग को सरकार से नहीं हटाया गया तो कांग्रेस त्यागपत्र दे देगी। वास्तव में मुस्लिम लीग ने अन्तिम सरकार में प्रवेश सहयोग के

उद्देश्य से नहीं वरन् बाधा डालकर पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से किया था। सरदार पटेल के पास गृह विभाग के अतिरिक्त सूचना तथा प्रसारण विभाग भी था।

मुस्लिम लीग के मन्त्रियों ने उन पर आरोप लगाया कि आल इण्डिया रेडियो पर हिन्दी का अधिक प्रयोग किया जाता है तथा कांग्रेस नेताओं की अपेक्षा मुस्लिम लीग के नेताओं के समाचार को कम समय दिया जाता है। सरदार ने इसका खण्डन किया। सरदार ने एक गुप्त व अवैधानिक पाकिस्तान रेडियो पर आपत्ति की, जो प्रतिदिन अपने कार्यक्रम के प्रारम्भ तथा अन्त में पाकिस्तान जिन्दाबाद कहता था।[100] वास्तविकता यह थी कि अन्तरिम सरकार दो गुटों में बँट गयी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान निर्माण की खुलकर प्रचार करने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा सरकारी प्रशासन मुस्लिम और गैर मुस्लिम भागों में बँट गया। अन्तरिम सरकार के गृहमन्त्री के रूप में कार्य करने में पटेल ने अनुभव किया कि 1935 के भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में गृह विभाग की शक्तियाँ बहुत सीमित हैं। वायसराय तथा प्रान्त में गवर्नर अपनी विशिष्ट शक्तियों का बार–बार प्रयोग करते हैं। नोआखाली और पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे और गृहमंत्रालय की अक्षमता ने इसकी पुष्टि कर दी। नोआखाली और पूर्वी बंगाल में साम्प्रदायिक दंगों से सरदार पटेल के विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वे–''जैसे को तैसा'' सिद्धान्त में विश्वास करने लगे।[101] कलकत्ता की घटनाओं के बाद पटेल ने क्रिप्स को पत्र लिखा कि–''हिंसा वह खेल है जिसका प्रयोग दोनों कर सकते हैं और उदारवादी हिन्दू निराश होकर वैसे ही बदला ले सकते हैं जैसे कि प्रतिक्रियावादी मुसलमान।[102]

पटेल बंगाल में मार्शल ला लगाने के पक्ष में थे, लेकिन वायसराय ने अनुमति नहीं दी। पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में हुई, जहाँ पर हिन्दुओं ने मुसलमानों पर आक्रमण किया। उन्हें जलाया और सम्पत्ति लूटी। पूर्वी बंगाल और बिहार के समाचारों से गाँधी जी को अत्यधिक कष्ट हुआ तथा वह शान्ति संदेश लेकर नोआखाली गये। वल्लभभाई गाँधी जी के शान्ति प्रयास पर शंकालु थे। क्रिप्स को एक पत्र में सरदार ने लिखा कि गाँधी जी नोआखाली में विषम परिस्थियों में कार्य कर रहे हैं और वह व्यक्तिगत रूप से गाँधी जी की सफलता पर सन्देह करते हैं।[103] अपनी नोआखाली यात्रा के सम्बन्ध में गाँधी जी वल्लभभाई की भावना से अपरिचित नहीं थे। 03 मार्च 1947 को गाँधी जी ने सरदार को पत्र लिखा–''मैं आपको अपने कार्य की आवश्यकता से सन्तुष्ट न कर सकूँ, परन्तु मुझे विश्वास है कि यह बहुत आवश्यक है।[63] अपने दूसरे पत्र में गाँधी जी ने पटेल को लिखा कि–''मतभेद के बावजूद भी पटेल वायसराय से व्यक्तिगत रूप से मिला।[104]

बिहार के साम्प्रदायिक झगड़ों पर गाँधी जी एक न्यायिक जाँच के पक्ष में थे, जिसका बिहार के गवर्नर और बिहार के मंन्त्रिमण्डल ने विरोध किया। गाँधी जी दुखी थे कि सरदार भी जाँच के विरुद्ध है। यद्यपि सरदार पटेल ने इससे इन्कार किया परन्तु सरदार पटेल को माउन्टबैटन को लिखा पत्र इसकी पुष्टि करता है। सरदार ने लिखा–''मैं गवर्नर और आप से सहमत हूँ कि बिहार के झगड़ों की जाँच का कदम अनुचित होगा।'' पटेल के अनुसार गाँधी जी की मांग मुस्लिम लीग के प्रभाव पर थी। अतः उनके अनुसार इसमें देरी करना ही उचित होगा।[65] मधुलिमये के अनुसार, बिहार में जाँच सम्बन्धी प्रश्न और सरदार पटेल की साम्प्रदायिक झगड़ों से निपटने के अपने ढंग से गाँधी और सरदार में मतभेद थे। यह उस समय के पत्र–व्यवहार की भाषा से स्पष्ट है।[105] डा0 अम्बेडकर

साम्प्रदायिक विरोधी न होकर धर्म विरोधी थे। बाबा साहेब ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा अवश्य हुआ परन्तु हिन्दू के रूप में मरूँगा नहीं। उन्होंने सभी धर्मों का भली–भाँति अध्ययन किया और पाया कि केवल बौद्ध धर्म ही विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। ये धर्म समानता, न्याय व प्रज्ञा (ज्ञान) पर आधारित है।[106] इसमें मानवप्रेम, अपनापन व भाईचारा है। यह भ्रमों के जाल में नहीं फँसाता। इसमें कर्मकाण्ड और पाखण्ड नहीं है। यह न तो स्वर्ग या मुक्ति का प्रलोभन देता है और न ही आत्मा और परमात्मा के चक्कर में उलझाता है। इसमें न तो देवी देवताओं को खुश करना होता है और न ही देवी देवताओं से डरना होता है। इसमें तो केवल बुद्ध की सेवाओं को जीवन में उतार कर दुख और भय से मुक्त होकर 'सम्पूर्ण मानव' जीवन जीना होता है। उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म 'अन्त दीपो भव' अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो, का मन्त्र देकर मनुष्य को अपने आप पर निर्भर होना सिखाता है।[107] उन्होंने घोषणा की कि वे 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। नागपुर की ओर आने वाली गाड़ियों में रिकार्डतोड़ भीड़ थी। लाखों लोग जैसे भी वे पहुँच सकते थे, धूमधाम से नागपुर पहुँचे। कई लोगों ने नागपुर पहुँचने के लिए अपने छोटे आभूषण बेंच दिये। हजारों लोग ऐसे भी थे जिनके रेल किराये तक के पैसे नहीं थे फिर भी वे मीलों पदयात्रा करते हुए 'भगवान बुद्ध की जय', 'बाबा साहेब की जय' के नारे लगाते हुए दीक्षा स्थल पर पहुँचे। लोग जत्थे बना–बनाकर आ रहे थे। वे इस प्रकार झूमते गाते हुए यात्रा कर रहे थे, मानों जीवन की कोई अति प्रसन्न और महत्वपूर्ण यात्रा कर रहे हों। वे प्रसन्न क्यों न होते, यह दिन उनकी धार्मिक दासता के अन्त का दिन था और मुक्ति दिवस का महान पर्व। नारे लग रहे थे– 'आकाश पाताल एक करो, बुद्ध धर्म स्वीकार करो।'[108]

*******

## सन्दर्भ :


1. सेठ गोविन्ददास, 'सरदार पटेल' (दिल्ली 1988) पृष्ठ–06
2. नरहरि द्वा0 परीख सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक अहमदाबाद, 1950, पृष्ठ 25)
3. बारदौली सत्याग्रह में दिया गया भाषण, वही, पृष्ठ 147
4. अम्बेडकर वी0आर0–दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वांगमय, वैल्यूम–20 पृष्ठ 116 से 150
5. दलित आन्दोलन पत्रिका 2010, पृष्ठ 4,5
6. जगमोहन पवार –डा0 भीमराव अम्बेडकर, एक परिचय,पृष्ठ 20, 25
7. बारदौली सत्याग्रह में दिया गया भाषण, वही, पृष्ठ 147
8. जी0 एम0 नन्दूरकर, दिस बाज सरदार ''दि कमोमेरेटिव वाल्यूम' (अहमदाबाद 1947) वही, पृष्ठ 168
9. सेठ गोविन्ददास, पूर्वो0 ,पृष्ठ 8
10. नरहरि द्वा0 परीख, सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ 25
11. बाम्बे कानिकल 26 अगस्त 1934 पृष्ठ 5,6
12. दलित आन्दोलन पत्रिका 2010, पृष्ठ 4,5
13. नरहरि द्वा0 परीख, सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ 25

15. सेठ गोविन्ददास 'सरदार पटेल', पृष्ठ 19

16. बाम्बे क्रानिकल–22 सितम्बर 1926

17. सरदार बल्लभभाई पटेल–देवव्रत एन0 पाठक व प्रवीन सेठ, पृष्ठ 319

18. सरदार पटेल–डी0 वी0 तहभनकर (लन्दन 1970), पृष्ठ 63

19. दीनानाथ व्यास सरदार बल्लभभाई पटेल (आगरा), पृष्ठ 19–21

20. अम्बेडकर बी0 आर0, राजनैतिक सहभागिता सम्पूर्ण वांगमय, वैल्यूम–13, पृष्ठ 126–128

21. अम्बेडकर वी0आर0–दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वांगमय, वैल्यूम–12, पृष्ठ 110से 115

22. जगमोहन पवार, डा0 भीमराव अम्बेडकर, एक परिचय– पृष्ठ, 35–40

23. रामचन्द्र बनौधा– डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृष्ठ 20

24. जगमोहन पवार– डा0 भीमराव अम्बेडकर, एक परिचय, पृष्ठ 20–25

25. हरिजन में प्रकाशित 4 फरवरी 1939, पृष्ठ 6–8

26. बाम्बे क्रानिकल, 28 अगस्त 1942, पृष्ठ 11–12

27. नरसिंह द्वा0 परीख, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक) पृष्ठ 26

28. कांग्रेस वर्णिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, नई दिल्ली, 1985,पृष्ठ–225

29. मधुमिलिये प्राइम मूवर्स, पृष्ठ–75

30. देवव्रत एन0 पाठक व प्रवीन सेठ, सरदार बल्लभभाई पटेल फ्राम सिविल टूनेशलन लीडर शीप (अहमदाबाद 1980) में की गयी है

31. आई0 जे0 पटेल ''सरदार बल्लभभाई पटेल (पब्लिकेशन डिविजन) 1985, पृष्ठ 46

32.आई0 जे0 पटेल ''सरदार बल्लभभाई पटेल (पब्लिकेशन डिविजन) 1985,पृष्ठ 46

33.नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 108–109

34.सरदार पटेल के भाषण, नरहरि द्वारका दास परीख, पृष्ठ 48

35.रामचन्द्र बनौधा– डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष,पृष्ठ 41

36.रामचन्द्र बनौधा– डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृष्ठ 23

37.नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 177–119

38.देवव्रत एन0 पाठक व प्रवीन सेठ, सरदार बल्लभभाई पटेल, पृष्ठ 319

39.बाम्बे क्रानिकल 22 सितम्बर 1926

40.नवजीवन, 19 फरवरी 1922

41.जगमोहन पवार– डा0 भीमराव अम्बेडकर : एक परिचय, पृष्ठ 35–40

42.विजय कुमार सोनकर, दलित आन्दोलन पत्रिका 2011, पृष्ठ 6,7

43.पाठक एवं सेठ पूर्वो, पृष्ठ 361

44.डी0 वी0 तहभनकर, सरदार पटेल (लन्दन 1970) पृष्ठ 63

45.बी0 आर0 टामिलन्सन दी इण्डियन नेशनल कांग्रेस एण्ड दी राज (1929–1942) कैम्ब्रिज 1976, उद्धृत आर0 डी0 शंकरदास पूर्वो–पृष्ठ 168

46.अम्बेडकर वी0आर0–दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वांगमय : वैल्यूम–12, पृष्ठ 110 से 115

47.मधुलिमये, पूर्वो, पृ0 78

48.नरहरि द्वा0 परीख, सरदार बललभभाई, भाग–1, पृष्ठ 74

49.अम्बेडकर बी0आर0 ''राजनैतिक सहभागिता'' सम्पूर्ण वांगमयः वैल्यूम–12, पृ0 115–120

50. अम्बेडकर वी0आर0—दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वांगमय : वैल्यूम—117, पृष्ठ 110 से 115

51. अम्बेडकर डा0 बी0आर0— व्यक्तित्व, कृतीत्व, डी0आर0 जाटव, पृष्ठ 195—210

52. उद्धत, आर0 डी0 शंकरदास, बल्लभभाई पटेल (ओरियन्ट लांगमैन 1988), पृष्ठ 30

53. सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पूर्वो, पृष्ठ 290

54. वही, परिशिष्ट 13, पृष्ठ 337

55. नरहरि द्वा0 परीख, सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ 3—4

56. बाम्बे क्रानिकल—24 अप्रैल 1918

57. यंग इंडिया (ज्ञापन) में 12 जून 1918 को प्रकाशित हुआ

58. सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पूर्वो, पृष्ठ 443—44

59. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो पृष्ठ 7—8

60. मधुमिलिये प्राइम मूवर्स, पृष्ठ 84—85

61. आर0 डी0 मजूमदार स्ट्रगल फार फ्रीडम (बम्बई 1978), पृष्ठ 330

62. आर0 डी0 मजूमदार स्ट्रगल फार फ्रीडम (बम्बई 1978), पृष्ठ 331

63. वही, पृष्ठ 11

64. वही, पृष्ठ 13

65. वही, पृष्ठ 13

66. वही, पृष्ठ 13—14

67. वही, पृष्ठ 14—15

68. वही, पृष्ठ 16

69. वही, पृष्ठ 18

70. उद्धत, आर0 सी0 मजूमदार, पूर्वो, पृष्ठ 335

71. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेलजी को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया।
72. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 23–14
73. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का समाना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 27
74. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 28–29
75. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 32–33
76. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 35
77. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 34
78. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 37

79. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 41
80. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 41
81. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 44
82. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार को त्याग दिया। पृष्ठ 44
83. वकालत छोड़ने पर बल्लभभाई पटेल को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को इंग्लैण्ड भेजकर शिक्षा दिलाने के विचार का त्याग दिया। पृष्ठ 52
84. नवजीवन, 30 जुलाई 1922
85. नवजीवन, 29 नवम्बर 1922
86. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 57
87. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 57
88. नवजीवन, 24 जुलाई 1923
89. नवजीवन, 24 जुलाई 1923
90. नवजीवन, 24 जुलाई 1923
91. मधुलिमये, पूर्वो, पृष्ठ 91
92. दि इण्डियन एन्यूअल रजिस्टर 1923, खण्ड 2, पृष्ठ 176
93. नवजीवन, 24 जुलाई 1923
94. नेहरू पेपर्स, एन0 एम0 एल

95. जगमोहन पवार–डा0 भीमराव अम्बेडकर : एक परिचय, पृ0 23–27

96. नरहरि परीख, पूर्वो, पृष्ठ 75

97. अम्बेडकर डा0 बी0आर0 : व्यक्तित्व, कृतीत्व : डी0आर0 जाटव, पृष्ठ 185–196

98. दीनानाथ व्यास, सरदार बल्लभभाई पटेल (आगरा) ,पृष्ठ 19–21

99. अम्बेडकर बी0 आर0, राजनैतिक सहभागिता, सम्पूर्ण वांगमय : वैल्यूम–13, पृष्ठ 126–128

100. अम्बेडकर वी0आर0–दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वांगमय : वैल्यूम–12, पृष्ठ 98से 105

101. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 93

102. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 79

103. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 80

104. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो ,पृष्ठ 84

105. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 90

106. नरहरि द्वा0 परीख, पूर्वो, पृष्ठ 88

107. नवजीवन, 13 फरवरी 1924

108. अम्बेडकर बी0आ0– दलित एवं पिछड़े वर्ग राजनैतिक भागीदारी, सम्पूर्ण वांगमय, वैल्यूम–15, पृ0 45

109. बाम्बे क्रानिकल, 22 सितम्बर 1926

110. नवजीवन, 19 फरवरी 1922.

❑❑❑